

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024—भाद्र 8, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का दिनांक 12 से 23 जुलाई 2024 तक, कुल बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे की अवकाश अवधि में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. ई-5-1097- आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के दिनांक 4 से 13 जुलाई 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 से 19 जुलाई 2024 तक, छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024

क्र. ई-1-143-2024-5-एक.—इस विभाग के समसंबंधिक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे (2013), कलेक्टर, जिला राजगढ़ की सेवाएं भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उप सचिव के समक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers (Shri Jagat Prakash Nadda) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री दीक्षित माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-150-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अनुराग सक्सेना (2016), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

क्र. ई-1-151-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री संदीप केरकेटा (2018), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2024

क्र. ई-1-156-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये गये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता हैः—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री दीपक आर्य (2012), कलेक्टर, जिला सागर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री संदीप जी. आर. (2013), कलेक्टर, जिला छतरपुर	कलेक्टर, जिला सागर.
3.	श्री पार्थ जैसवाल (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा.	कलेक्टर, जिला छतरपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्र. एफ-5-08-2022-साप्रवि-(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री गुरुपाल सिंह अहलुवालिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2711 (दो-1-4-18), दिनांक 4 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 22 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्र. एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है।

क्र. 1330-2179346-2024-साप्रवि-(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2713 (दो-1-6-24), दिनांक 4 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 30 जून 2024 तक के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश अवधि के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्र. एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है।

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024

क्र. 1351-2189221-2024-साप्रवि-(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-2886 (दो-1-6-2024), दिनांक 15 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 1353-2189283-2024-साप्रवि-(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अमर नाथ (केशरवानी), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-5129 (दो-1-5-2022), दिनांक 16 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 2377-2106371-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अमित सांघी, भापुसे, तत्का. उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मध्यक्षेत्र), भोपाल वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 अगस्त 2024 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 अगस्त व 1 सितम्बर 2024 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में यूनाईटेड किंगडम की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री अमित सांघी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर का कार्य प्रभार पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल जोन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सांघी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उहें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप केरकेट्टा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

क्र. 2290-एफ 1-61-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जयदीप प्रसाद भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, भोपाल का दिनांक 20 अगस्त से 4 सितम्बर 2024 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 अगस्त 2024 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित न्यू यार्क, (USA) की निजी विदेश

यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, भोपाल का चालू कार्य प्रभार डॉ. आशीष, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उहें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. एफ 1-1-7-0001-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, समनि, विसबल, पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28 जून 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-30 जून 2024 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत केरल जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| 1. श्री सुनील कुमार तिवारी | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती सोनल तिवारी | — | पत्नी |
| 3. कु. आर्या तिवारी | — | पुत्री |
| 4. कु. भाव्या तिवारी | — | पुत्री |

(2) श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे के अवकाश अवधि में समनि, विसबल, पु. मु., भोपाल का चालू कार्य श्री ओ. पी. व्यास, रापुसे, समनि, विसबल, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए)12-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अतुल सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन को दिनांक 16 से 30 अगस्त 2024 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन का चालू कार्य श्री धर्मराज मीणा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला खरगौन द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अतुल सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए)24-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2024 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री विवेक सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 19 जून 2024 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

क्र. एफ 1 (ए)28-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला रत्लाम को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 14 जून 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 15-16 जून 2024 के विप्पन अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत सिविकम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. श्री राहुल कुमार लोढ़ा, | — स्वयं |
| 2. श्रीमती शुभी लोढ़ा | — पत्नी |
| 3. कु. स्वरा लोढ़ा | — पुत्री |
| 4. श्री शौर्य लोढ़ा | — पुत्र |

(2) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला रत्लाम का चालू कार्य श्री राजेश खाखा, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला रत्लाम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस अधीक्षक, जिला रत्लाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. एफ 1 (ए)38-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर को दिनांक 9 से 31 मई 2024 तक, तेरह दिवस की लघुकृत/परिवर्तित की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छियालीस दिवस अद्वैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए)44-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2024 द्वारा श्री वैष्णव शर्मा, भाषुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 27 जून 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-17 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित सोनमर्ग (जमू-कश्मीर) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की गई (जमू-कश्मीर) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की गई श्री. चूंकि अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिया गया। अतः स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1-37-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती दीपिका सूरी, भाषुसे, अति. पुलिस महानिरेशक (प्रशासन), पु.मु., भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 4 सितम्बर 2024 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 अगस्त 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ यू.एस.ए. की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भाषुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिरेशक (प्रशासन), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भाषुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बर्नी रहतीं।

क्र. एफ 1 (ए)133-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2024 को संशोधित करते हुए, श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भाषुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एसडीईआरएफ को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28 जून 2024 तक, पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 29-30 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कश्मीर, श्रीनगर, लेह, लद्दाख जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. एफ 1-1-24-रा.स.-यू.ए. 1-1035.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्त हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1. प्रो. शुभा तिवारी,
कुलगुरु,
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (म. प्र.).
2. प्रो. कपिल देव मिश्र,
(पूर्व कुलगुरु, रानी दुर्गावती वि. वि., जबलपुर).
प्राध्यापक,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट जिला सतना (म. प्र.).

समिति के
अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा
नामांकित

समिति के
सदस्य

राज्य सरकार
द्वारा नामांकित

3. प्रो. देव दत्त शर्मा,
(पूर्व कुलपति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी),
अध्यक्ष, भूगोल विभाग,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,
शिमला (हि. प्र.).

समिति के
सदस्य

अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग
द्वारा नामांकित.

- (2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. शुभा तिवारी, कुलगुरु को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए. 1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. एफ 1-3-24-रा.स.-यू.ए. 1-1045.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1. प्रो. विजय कुमार सी. जी.,
कुलपति,
महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म. प्र.).

समिति के
अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा
नामांकित

2. प्रो. भरत मिश्रा,
कुलपति,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट जिला सतना (म. प्र.).

समिति के
सदस्य

राज्य सरकार
द्वारा नामांकित

3. प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह,
कुलपति,
दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
ग्राम करहारा, पोस्ट, फतेहपुर,
गया (बिहार).

समिति के
सदस्य

अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग
द्वारा नामांकित.

- (2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. विजय कुमार सी. जी., कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

- (4) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए. 1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2024

क्र. यूडीएच-3-0057-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (5) की सहपटित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1413-वि.यो.-भोपाल-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (5)(एक) सहपटित धारा 19(1) के तहत अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

भोपाल विकास योजना, 2005 के अध्याय-4 के “क्षेत्राधिकार” के बिन्दु क्रमांक 4.11 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक 4.11 (अ) अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात् :—

4.11 (अ) भोपाल विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक का क्षेत्र टी.डी.आर. प्रयोजन के लिए का प्राप्ति क्षेत्र होगा। इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, तथा औद्योगिक, भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शों क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1: 0.50 एफ.ए.आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा।

2. विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्रमांक / 1571 / 1311508 / 2023 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $24^{\circ}49'32.350''$ से $24^{\circ}49'52.399''$ उत्तर अक्षांश तथा $81^{\circ}54'34.739''$ से $81^{\circ}54'21.274''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— मऊगंज
वनमण्डल — रीवा

तहसील — हनुमना
वन परिक्षेत्र — हनुमना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	छदनाकला	छदनाकला	शासकीय भूमि	13/2	3.9180	उत्तर— आरक्षित वनखण्ड ढखराबारी की दक्षिणी सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 83 से 81/1 तक वनसीमा।
				2/2	5.2440	पूर्व— आरक्षित वनखण्ड ढखराबारी के मुनारा क्रमांक 81/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 तक कृत्रिम वन सीमा।
				12/1/4	3.0360	दक्षिण— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	12.198	पश्चिम— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से आरक्षित वनखण्ड ढखराबारी के मुनारा क्रमांक 83 तक कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक 6-MPC003/2018-BHO दिनांक 26.09.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सिरमौर स्माल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड परियोजना निर्माण में प्रभावित 9.453 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त अनुसूची में वर्णित कुल 12.198 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रीवा के आदेश क्रमांक /21/अ-19/मूल/2019-20 दिनांक 03.11.2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी— तहसीलदार अनुविभाग हनुमना जिला रीवा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 1571-1311508-2023-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1571-1311508-2023-दस-3, दिनांक 22 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

Bhopal, the 22nd August 2024

No./ 1571 /1311508/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $24^{\circ}49'32.350''$ to $24^{\circ}49'52.399''$ North Latitude and $81^{\circ}54'34.739''$ to $81^{\circ}54'21.274''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Mauganj
Forest Division - Rewa

Tahsil - Hanumana
Forest Range - Hanumana

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Chhadanakala	Chhadanakala	Government Land	13/2 2/2 12/1/4	3.9180 5.2440 3.0360	North - The Southern Forest Boundary of Reserved Forest Block Dhakarabari from Pillar no. 83 to 81/1. East - Artificial Forest Boundary from pillar number 81/1 of Reserved Forest block Dhakarabari to pillar number 8 of proposed protected forest block. South - Artificial Forest Boundary from Pillar number 8 to 9 of proposed protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 9 to 13 of proposed forest block to pillar number 83 of Reserved Forest Block Dhakarabari.	Total 12.198

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's amendment order No. 6-MPC003/2018-BHO Dated 26.09.2020 and in lieu of 9.453 hectare out of 12.198 hectare of forest land affected in project of sirmour small Hydro power private limited, the above mentioned Non Forest land of 12.198 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 21/A-19/MUL/2019-20 Dated 03.11.2020 of Collector Rewa for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Hanumana District Rewa are as under.

1. Individual Rights :- There are no individuals Right on the said land
2. Community Rights :- There are no Communities Right on the said land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक/15४३/आर-2134567/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°52'27.45" से N 21°52'43.98" उत्तर अक्षांश तथा E 80°21'24.78" से E 80°21'41.98" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है।

अनुसूची**जिला :- बालाघाट****वनमण्डल :- दक्षिण बालाघाट (सा०)****तहसील :- परसवाड़ा****वन परिक्षेत्र :- बालाघाट (सा०)**

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुकलदण्ड (अ)	सुकलदण्ड	शासकीय भूमि बड़े झाड़ का जंगल	2/2	13.000	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड धनसुवा के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 84 से 86 तक की वनसीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड धनसुवा के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 86 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा और मुनारा क्रमांक 8 से आरक्षित वनखण्ड धनसुवा के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा 84 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं नाला बाउन्ड्री।
				कुल योग	13.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/552/आर-1341357/2023/10-3 दिनांक 04.03.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना 02 सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव क्रमशः (1) नलेझरी से सतोना तक, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155818/2022 रकमा 2.100 हे० (2) कसंगी से गोदरी तक, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/410116/2022 रकमा 4.170 हे० में प्रभावित 6.270 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./15/अ-59 वर्ष 22-23 दिनांक 12.10. 2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परसवाड़ा, जिला बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :— उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :— उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है। अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. 1573—आर—2134567—2024—दस—3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1573—आर—2134567—2024—दस—3, दिनांक 23 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2024

No./1573/R-2134567/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that State Government from time to time. This forest blocks lies between N 21°52'27.45" to N 21°52'43.98" North Latitude and E 80°21'24.78" to E 80°21'41.98" East Longitude.

SCHEDEULE

District - Balaghat
Forest Division - South Balaghat (T)

Tahsil - Parawada
Forest Range - Balaghat (T)

S. N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries 7
	Name of Forest Black	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	
1	Sukaldand (A)	Sukaldand	Government Land, Bade Jhad ka Jungle	2/2	13.000	North - Forest boundary from pillar No. 84 to 86 of compartment no. 141 of reserve forest block Dhansua.
						East - Artificial Forest boundary from pillar No. 86 of compartment no. 141 of reserve forest block Dhansua to pillar no. 1 to 3 of proposed protected forest block.
						South - Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 6 of proposed protected forest block.
						West - Artificial forest boundary of proposed forest block from pillar no. 6 to 8 and from pillar no. 8 to 84 of compartment no. 141 of reserve forest block Dhansua and nala boundary.
				Total	13.000	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India's letter no. 6-MPB 034/2023-BHO dated 11-11-2023, Madhya Pradesh Government, Forest Department Bhopal letter no. 552/R-1341357/2023/10-3 dated 04.03.2024 and in lieu of 6.270 hectare of forest land affected in the sanctioned project of 02 proposals of road construction works respectively (1) Nalejhari to Satona, proposal no. FP/MP/ROAD/155818/2022, area 2.100 ha. (2) Kasangi to Godri, proposal no.

FP/MP/Road/410116/2022, area 4.170 ha.) of user agency- General Mangaer, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority- PIU-1, 2 Balaghat, District Balaghat, the above mentioned Non Forest Land of 13.000 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No./15/A-59/year 22-23 dated 12.10.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certified) of Tashildar Paraswada, District Balaghat are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक /1575/ 2186191/2024/ 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 23°38'18.9" से N 23°37'47.7" उत्तर अक्षांश तथा E 75°14'43.3" से E 75°15'14.40" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— रतलाम
वनमण्डल — रतलाम

तहसील — जावरा
वन परिक्षेत्र — सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	छायन	छायन	ना.का.का. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	2, 66/1/2	27.840 3.160	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड हिरुखेड़ी के मुनारा क्रमांक 6 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 23 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से 24 एवं संरक्षित वनखण्ड खोजनखेड़ा के मुनारा क्रमांक 4 तक कृत्रिम वन सीमा। संरक्षित वनखण्ड खोजनखेड़ा के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक एवं संरक्षित वनखण्ड हिरुखेड़ी के मुनारा क्रमांक 7 तक वन सीमा। संरक्षित वनखण्ड हिरुखेड़ी के मुनारा क्रमांक 7 से 6 तक वन सीमा।
				योग	31.00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. 1575—2186191—2024—दस—3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की
अधिसूचना क्रमांक 1575—2186191—2024—दस—3, दिनांक 23 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा
प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

Bhopal, the 23rd August 2024

No./५७५ /2186191/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $23^{\circ}38'18.9''$ to N $23^{\circ}37'47.7''$ North Latitude and E $75^{\circ}14'43.3''$ to E $75^{\circ}15'14.40''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Ratlam
Forest Division - Ratlam

Tahsil - Jaora
Forest Range - Sailana

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Chhayan	Chhayan	Na.Ka.Ka. Madhya Pradesh Government Forest Department	2, 66/1/2	27.840 3.160	North - Artificial forest boundary from pillar no. 6 of protected forest block Hirukhedi to pillar no. 1 to 2 of proposed protected forest block. East - Artificial forest boundary from pillar no. 2 to 10 to proposed forest block. South - Artificial forest boundary from pillar no. 10 to 23 to proposed forest block. West - Artificial forest boundary from Pillar No. 23 to 24 of proposed protected forest block and upto Pillar No. 4 of the protected forest block Khojankheda. Forest boundary from Pillar No. 4 to 1 of Khojankheda and upto Pillar No. 7 of protected forest block Hirukhedi. Forest boundary from pillar no. 7 to 6 of protected forest block Hirukhedi.

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's letter no. 6-MPR028/2022-BHO dated 01-03-2024 in lieu of 26.2868 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bombori Tank of Executive Engineer, Water Resource Department, District Ratlam, the Non Forest Land of 31.000 hectare as mentioned in the schedule above transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by District Collector Ratlam Order Project No./0040/A-20(3)/2019-20 Date 13-12-2019. Project No./0051/A-20(3)/2019-20 Date 15-01-2020, for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per the certificate of Competent Revenue Officer Tehsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

1. Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक/15तत्त्व/2184530/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $24^{\circ}53'49''$ से $24^{\circ}54'14''$ उत्तर अक्षांश तथा $75^{\circ}11'37''$ से $75^{\circ}11'51''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— नीमच

वनमण्डल — नीमच

तहसील — सिंगोली

वन परिक्षेत्र — रतनगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	अथवा नार्थ (अ)	अथवा खुर्द	शासकीय राजस्व भूमि (गैर वनभूमि)	117/2	2.00	उत्तर— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक कृत्रिम वनसीमा।
				118	0.979	पूर्व— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से संरक्षित वनखण्ड अथवा नार्थ के मुनारा क्रमांक 40 तक एवं मुनारा क्रमांक 40 से 35 तक वनसीमा।
				119	0.202	दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड अथवा नार्थ के मुनारा क्रमांक 35 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 एवं मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा।
				120	0.202	पश्चिम— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				121/1	1.385	
				121/2	0.198	
				121/161	0.182	
				122/2	2.396	
				122/3	0.214	
				122/4	0.239	
				122/5	0.405	
				122/6	0.138	
				122/168	1.687	
				123/1/2	5.807	
			योग	16.034		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (i) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक FP/MP/Substation/421553/2023 दिनांक 18.06.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू. नीमच की स्वीकृत परियोजना नीमच जिले में गांधीसागर-2 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना अन्तर्गत पॉवर सब स्टेशन एवं सुपर विजन कक्ष निर्माण में प्रभावित 1.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त अनुसूची में वर्णित 2.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में वर्णित 2.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला-नीमच के प्रकरण क्रमांक 0221/अ-20(3)/2023-2024 आदेश दिनांक 05.01.2024 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

(ii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक FP/MP/Pipeline/421409/2023 दिनांक 18.06.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू. नीमच की स्वीकृत परियोजना नीमच जिले में गांधीसागर-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रभावित 1.114 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में उपरोक्त अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 1.114 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला-नीमच के प्रकरण क्रमांक 0221/अ-20(3)/2023-2024 आदेश दिनांक 05.01.2024 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- कलेक्टर, जिला-नीमच के प्रकरण क्रमांक 0221/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 05.01.2024 से महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू. नीमच की नीमच जिले में गांधीसागर-2, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य योजनाओं में प्रभावित वनभूमि के बदले में ग्राम अथवा खुर्द, तहसील सिंगोली स्थित कुल रकबा 16.034 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग नीमच को हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित की गई है।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी— तहसीलदार, तहसील-सिंगोली के प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. 1577-2184530-2024-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1577-2184530-2024-दस-3, दिनांक 23 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2024

No./१५७८ /2184530/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $24^{\circ}53'49''$ to $24^{\circ}54'14''$ North Latitude and $75^{\circ}11'37''$ to $75^{\circ}11'51''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Neemuch
Forest Division - Neemuch

Tahsil - Singoli
Forest Range - Ratangarh

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Athua North (A)	Athua Khurd	Government Revenue Land (Non Forest Land)	117/2	2.00	North - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 7 to 10 of Proposed Protected Forest Block. East - Forest Boundary from Pillar no. 10 of Proposed Protected Forest Block to Pillar no. 40 and 40 to 35 of Protected Forest Block Athua North. South - Artificial forest boundary from pillar no. 35 of protected forest block Athua North to pillar no. 1 and pillar no. 1 to 4 of proposed protected forest. West - Artificial Forest Boundary from Pillar no. 4 to 7 of Proposed Protected Forest.	
				118	0.979		
				119	0.202		
				120	0.202		
				121/1	1.385		
				121/2	0.198		
				121/161	0.182		
				122/2	2.396		
				122/3	0.214		
				122/4	0.239		
				122/5	0.405		
				122/6	0.138		
				122/168	1.687		
				123/1/2	5.807		
				Total	16.034		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. (i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India's letter No. FP/MP/Substation/421553/2023 dated 18-06-2024 and in lieu of 1.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Power Sub Station & Super Vision Office of Gandhi Sagar -2 Multi -Villages Scheme, in District Neemuch

of The General Manager, Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit, PIU-Neemuch the above mentioned Non Forest Land of 2.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 0221/A-20(3)/2023-24 dated 05-01-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India's letter no. FP/MP/Pipeline/421409/2 dated 18-06-2024 and in lieu of 1.114 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Laying of Pipeline of Gandhi Sagar-2 Multi-Villages Scheme in District Neemuch of The General Manager, Madhya Pradesh, Jal Nigam Maryadit, PIU-Neemuch the above mentioned Non Forest Land of 1.114 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 0221/A-20(3)/2023-24 dated 05-01-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- With reference to The General Manager, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU-Neemuch (M.P.) proposed Other schemes of Gandhi Sagar -2 Multi -Villages Scheme, in District Neemuch, affected forest land, In lieu of Total area 16.034 hectares revenue land located in village Athua Khurd, Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department, Neemuch by Collector, District Neemuch's order No. 0221/A-20(3)/2023- 24 dated 05-01-2024.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Hanumana District Rewa are as under.

1. Individual Rights :- There are no individuals Right on the said land
2. Community Rights :- There are no Communities Right on the said land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्रमांक/1583/1526329/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड $22^{\circ}17'17.98''$ से $22^{\circ}17'29.68''$ उत्तर अक्षांश तथा $78^{\circ}42'41.42''$ से $78^{\circ}42'59.69''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— छिन्दवाड़ा

वनमण्डल — पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल

तहसील — तामिया

वन परिक्षेत्र — तामिया

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	लहगडुआ	लहगडुआ	पहाड़ चट्टान	71/1/2	8.85 हे.	उत्तर— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 26 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	8.85 हे.	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No.6-MPR 016/2022-BHO दिनांक 05.12.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सङ्केत विकास निगम लिमिटेड, छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना तामिया—जुन्नारदेव मार्ग (राजमार्ग क्रमांक-41) हेतु शर्त क्रमांक 2(2) के पालन में प्रभावित 5.70 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.85 हेक्टेयर गैर वन भूमि (मद पहाड़

चट्टान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक /001/अ-19(4)/2021-22 दिनांक 23.06.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी— तहसीलदार परासिया जिला—छिन्दवाड़ा के प्रमाण—पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :— उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 1583—1526329—2023—दस—3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1583—1526329—2023—दस—3, दिनांक 27 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 27th August 2024

No./1583/R-1526329/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $22^{\circ}17'17.98''$ to $22^{\circ}17'29.68''$ North Latitude and $78^{\circ}42'41.42''$ to $78^{\circ}42'59.69''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara

Tahsil - Tamia

Forest Division - West Division Chhindwara

Forest Range - Tamia

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Lehgadua	Lehgadua	Pahad Chattan	71/1/2	8.85 ha.	North- East- South- West-	Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 10 of the proposed protected forest block. Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to 13 of the proposed protected forest block. Artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 22 of the proposed protected forest block. Artificial forest boundary from Pillar No. 22 to 26 and 1 of the proposed protected forest block.
				Total	8.85 ha.		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India's letter No. 6-MPR016/2022-BHO dated 05.12.2022 and in lieu of 5.70 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Tamia-Junnardev Road of Managing Director Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited Chhindwara the above mentioned Revenue Land of 8.85 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order number 001/A-19(4)/2021-22 dated 23.06.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 01.12.2022 of Tahsildar Parasia are as under.

1. Individual Rights :- There are no Individual rights on the said land.

2. Community Rights :- There are no Community rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्रमांक/1530/2184456/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N $21^{\circ}27'10.20''$ से N $21^{\circ}27'14.80''$ उत्तर अक्षांश तथा E $80^{\circ}32'24.80''$ से E $80^{\circ}32'30.16''$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— बालाघाट

वनमण्डल — दक्षिण बालाघाट (सा.)

तहसील — लांजी

वन परिक्षेत्र—पश्चिम लांजी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ	
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान भद्र	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)		
1 (अ)	लोहारा	लोहारा	शासकीय भूमि चरनोड़, घास	17 8 (भाग)	1.570 0.050	उत्तर— पूर्व— दक्षिण— पश्चिम—	आरक्षित वनखण्ड लोहारा की दक्षिणी सीमा पर मुनारा क्रमांक 149 से 148 तक। आरक्षित वनखण्ड लोहारा के मुनारा क्रमांक 148 व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा। प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक और मुनारा क्रमांक 10 से आरक्षित वनखण्ड लोहारा की वन सीमा लाईन तक कृत्रिम वन सीमा। आरक्षित वनखण्ड लोहारा की वन सीमा लाईन से मुनारा क्रमांक 148 तक की वन सीमा।
			योग	1.620			

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6-MPB032/2022-BHO दिनांक 03 फरवरी, 2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक—1, 2 बालाघाट, जिला—बालाघाट की स्वीकृत परियोजना ग्राम टेमनी से ग्राम सायर तक सड़क निर्माण कार्य, प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/143349/2021 में प्रभावित वनभूमि रक्खा 1.620 हेक्टेयर के एवज में उपरोक्त अनुसूची अनुसार वर्णित प्राप्त कुल 1.620 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0009/अ—59 वर्ष 22—23 में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2022 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी— तहसीलदार लांजी, जिला—बालाघाट के प्रमाण—पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 1590—2184456—2024—दस—3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1590—2184456—2024—दस—3, दिनांक 27 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 27th August 2024

No./१५९६ /2184456/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^{\circ}27'10.20''$ to N $21^{\circ}27'14.80''$ North Latitude and E $80^{\circ}32'24.80''$ to E $80^{\circ}32'30.16''$ East Longitude.

SCHEDULE

District - Balaghat
Forest Division - South Balaghat (T.)

Tahsil - Lanji
Forest Range - West Lanji (T.)

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Lohara (A)	Lohara	Government Land Charnoi Ghass	17 8 (Part)	1.570 0.050	North – Artificial forest boundary from pillar no. 149 to 148 on southern boundary of Lohara Reserved Forest Block. East – Artificial forest boundary from pillar no. 148 of Lohara reserved Forest block to pillar no. 1 to 5 of proposed forest block. South – Artificial forest boundary from pillar no. 5 to 10 of the proposed forest block and from pillar no. 10 to boundary line of reserved forest block, Lohara. West – Forest Boundary from Lohara Reserved Forest Block boundary to Pillar no. 148.	Total 1.620

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's letter No. 6-MPB 032/2022-BHO dated 03-02-2023 and in lieu of 1.620 hectare of forest land affected in construction of road from Village Temni to Sayar, proposal no. FP/MP/Road/143349/2021 of user agency-General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1, 2 Balaghat, District Balaghat, the Non Forest Land of 1.620 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.0009/A-59 year 22-23 dated 05 August 2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Lanji, District Balaghat are as under.

1. Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. F-15-44-2005-दस-2.— राज्य शासन, एतद्वारा यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1)(bb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, निवासी जिला कट्टनी को कट्टनी जिले के लिए जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2024

क्रमांक : 6395 /2195283/2024/तेरह : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-63 के अंतर्गत भारत के राजपत्र दिनांक 13.04.2006 में प्रकाशित पारेषण सेवाओं हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के दिशा-निर्देशों की कंडिका-3 की उप-कंडिका 3.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा मेसर्स आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), नई दिल्ली को मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड (एमईएल) के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के नेटवर्क द्वारा 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल का हिस्सा) विद्युत के निकासी हेतु अंतः राज्यीय पारेषण परियोजनाओं का निर्माण, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से करने के लिये बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करती है। टीबीसीबी के माध्यम से की जाने वाली पारेषण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विवरण	उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए)/लाईनों की अनुमानित लम्बाई (किमी)
1 (i)	रीवा (सगरा) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य	2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
(ii)	पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड – रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)	150 किमी
(iii)	रीवा – सिरमौर / बाणसागर-1 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य	2x10 किमी
(iv)	रीवा (सगरा) 400 केव्ही – कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन	45 किमी
(v)	रीवा (सगरा) 400 केव्ही – रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)	10 किमी
(vi)	रीवा (सगरा) 400 केव्ही – रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन	25 किमी
(vii)	रीवा 220 केव्ही – मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य	2x10 किमी
2 (i)	अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य	2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
(ii)	रीवा (सगरा) – अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/ट्रिवन मूस)	60 किमी
(iii)	मैहर – सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य	2x20 किमी

(iv)	अमरपाटन 400 के क्वी – अमरपाटन 132 के क्वी डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)	10 किमी
(v)	अमरपाटन 400 के क्वी – सतना-II 132 के क्वी डीसीडीएस लाईन	35 किमी
(vi)	अमरपाटन 400 के क्वी – रामपुर बघेलान 132 के क्वी डीसीडीएस लाईन	25 किमी
(vii)	अमरपाटन 400 के क्वी – उंचेहरा 132 के क्वी डीसीडीएस लाईन	25 किमी

2/ बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तों एवं तत्संबंध में समय-समय पर किए गए संशोधन के अधीन है।

No. 6395 /2195283/2024/XIII: In exercise of the powers conferred by sub-para 3.3 of Para 3 of the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) for Transmission Service circulated by Ministry of Power (MoP), GoI, under section 63 of the Electricity Act, 2003 published in the Gazette of India Notification Dated 13.04.2006, the State Government hereby appoints M/s REC Power Development & Consultancy Ltd. (RECPDCL) as Bid Process Coordinator (BPC) for development of intra-state transmission system for evacuation of 1230MW power (MPPMCL portion) through STU network from proposed 2x800MW thermal power project of M/s Mahan Energen Ltd. (MEL). The details of transmission works to be developed through TBCB route are as follows:

S. No.	Details of Intra-state Transmission Infrastructure Works	Tentative Length (Km) / Capacity (MVA)
1 (i)	Construction works of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)	2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
(ii)	PTEML (MEL) Switchyard- Rewa(Sagra) 400kV DCDS line (Quad Moose)	150km
(iii)	LIO of both circuit of Rewa - Sirmour/Bansagar-I 220kV line at Rewa (Sagra) 400 kV S/s	2x10km
(iv)	Rewa (Sagra) 400kV - Kotar 220kV DCDS line	45km
(v)	Rewa (Sagra) 400kV – Rewa (Sagra) 132kV DCDS line (Interconnector)	10km

(vi)	Rewa (Sagra) 400kV - Rewa 132kV DCDS line	25km
(vii)	LILO of both circuit of Rewa220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra) 400kV S/s	2x10km
2 (i)	Construction works of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan	2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
(ii)	Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line(Quad/ Twin Moose)	60km
(iii)	LILO of both circuit of Maihar - Satna (PGCIL) 220kV line at Amarpatan 400kV S/s	2x20Km
(iv)	Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line (Interconnector)	10km
(v)	Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line	35km
(vi)	Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line	25km
. (vii)	Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line	25km

2/ The appointment of the Bid Process Coordinator (BPC) is subject to the conditions laid down in the Guidelines issued by Ministry of Power (MoP), GoI and subsequent amendment thereof.

मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्रारंभिक सूचना
(दखिए धारा 11)

क्र.-0015-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2024-6128

सागर, दिनांक 24 जुलाई 2024

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के किशनगढ़ जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | किशनगढ़ जलाशय नहर निर्माण हेतु |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | रहली |
| 3. ग्राम | : | काढ़ी पिपरिया |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 36 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 5.62 है। |

:: अनुसूची-1 ::

स.क्र.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	स्थार्क
1	2	3			
1	हरकिशुन पिता खरगो पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	135	0.900	0.05	
		145/7	0.100	0.04	
2	सरोजरानी पति चंद्रभान पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	138	0.500	0.05	
3	कलू पिता मुल्ला पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	141/1	0.080	0.05	
4	चेतू पिता मुल्ला सा. देह भूमिस्वामी	141/2	0.420	0.01	
5	मुन्ना पिता मुल्ला पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	141/3	0.080	0.06	
6	हेमराज काढ़ी पिता दशरथ पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	142/1/1	0.080	0.02	
		143/1	0.160	0.01	
7	लोकेश पिता दशरथ पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	142/1/2	0.250	0.02	
8	रुपसींग पिता कनई पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	142/2	0.500	0.05	
9	मुन्ना पिता कनई पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	143/2	0.440	0.04	
10	संध्या पति हरि पता सागर भूमिस्वामी	144/1	0.310		
		144/4	2.130		0.18
11	शाजाराम पिता कुददा पता काढ़ी पिपरिया भूमिस्वामी	144/2	0.800		

12	भगवानदास चतुर्भज कल्यान प्रीतम नाबा० पिता व पालक खिलान पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	144/3	0.400		
13	नाथूराम पिता खरगे पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	145/1	0.090	0.02	
		145/2	0.070		
14	राजकुमार पिता नाथूराम पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	145/3	0.490	0.09	
15	उदयभान पिता खरगे पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	145/5	0.500	0.05	
16	विजय नाबालिंग पिता प्रीतम संरक्षक चन्द्रभान पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	145/6/1	0.400	0.30	
17	चंद्रभान पिता खरगे पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	145/6/2	0.450		
18	पूरनलाल पिता भौयालाल पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	163/2	0.680	0.06	
		164/2/1	0.100	0.03	
19	परमानंद पिता भौयालाल पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	163/6	0.600	0.11	
20	श्रीराम पिता बुद्दा पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	165/1/1	0.420	0.10	
21	मनीराम पिता शंकर पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	165/2	0.440		
22	मानसींग, प्रीतम, श्रीराम पिता बुद्दा पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	165/1/2	0.030	0.08	
		164/1/3	0.020		
23	मानसींग पिता बुद्दा पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	164/1/1	0.370	0.08	
		164/1/3	0.020	0.02	
24	प्रीतम पिता बुद्दा पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	164/1/2	0.370	0.08	
25	शिवलाल पिता भौयालाल पता सागर भूमिस्वामी	164/2/2	0.090	0.03	
26	परसादी पिता भौयालाल पता सागर भूमिस्वामी	164/2/3	0.100		
27	तुलसीराम पिता भौयालाल पता सागर भूमिस्वामी	164/2/4	0.080	0.03	
28	मत्थू काढी पिता मौजीलाल काढी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	167/1/1	0.080		
		314/2/1	0.080	0.03	
29	नेमचंद काढी पिता मत्थू काढी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	167/1/2	0.200	0.03	
30	लखबू पिता मौजीलाल पटेल पता सागर भूमिस्वामी	167/2	0.280	0.03	
		170	0.390	0.04	
31	योगेश पिता गणेश भाग 1/3, भूपेन्द्र पिता गणेश भाग 1/3 नीरज पिता गणेश भाग 1/3 पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	168	0.790	0.08	
32	मानक पिता नंदलाल पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	169/2	0.800	0.11	
33	हरिराम पिता भगोनी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	173/1	0.350	0.01	
34	भजन पिता किशोरी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	177/2	0.200	0.05	
35	किशोरी पिता रगवर पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	177/3	0.900	0.10	
36	डेलन पिता किशोरी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	179/1	0.080	0.08	
37	धनीराम पिता किशोरी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	179/2	0.200	0.13	
38	सुरेश पिता किशोरी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	179/3	0.200	0.13	
39	द्वारका पिता किशोरी पता काढी पिपरिया भूमिस्वामी	179/4	0.200	0.13	

40	बेनीप्रसाद कोमलप्रसाद पिता पंचे पार्वतीबाई बेनीबाई पुत्री पंचे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	180/1	0.870	0.08	
41	बेनीप्रसाद पिता पंचे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	180/2	0.430		
42	सुमत्रानी पति तुलसीराम पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	182/2	0.200	0.05	
43	दुर्गारानी पति मुन्नालाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	182/4	1.050	0.03	
44	कामताप्रसाद, तुलसीराम, परसराम पिस. धनसींग सा. देह भूमिस्वामी	306/1	0.140	0.08	
45	सदनकुमार पिता बाबूलाल भाग 1/8, पवनकुमार पिता बाबूलाल भाग 1/8, मदनकुमार पिता बाबूलाल भाग 1/8, मुकेशकुमार पिता बाबूलाल भाग 1/8, सारेज पिता बाबूलाल भाग 1/8, साधना पिता बाबूलाल भाग 1/8, कल्पना पिता बाबूलाल भाग 1/8, समता पिता बाबूलाल भाग 1/8 पता सागर भूमिस्वामी	307/2	1.610	0.14	
46	अनंदकुमार, गुलाबचंद पिस. परमानंद दयालतंद, अमीरचंद पिस. रतनचंद मुलाल, चन्द्रभान, संतोष, बीरेन्द्र पिस. भौयालाल राकेश, कमलेश, महेन्द्र पिस. धूपचंद सा. देह भूमिस्वामी	307/3	0.530	0.05	
47	दुर्गप्रसाद पिता हरिराम पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	309	0.460	0.06	
48	जगदीश प्रसाद पिता बौजनाथ पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	311	0.930	0.08	
49	रामचरण पिता भगोनी सा.देह भूमिस्वामी	312	1.330	0.06	
50	बालमुकुंद काछी पिता मत्थू काछी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	314/2/2	0.160	0.03	
51	प्रेमरानी पति शिवलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	321/1	0.240	0.04	
52	प्रेमलाल, पदमलाल, किशुनलाल, बल्ले नोनेलाल पिस0 राचरण मेलाबाई इमरती इन्द्रापिता रामचरण रामदाबू पिता शंकर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	412	2.810	0.33	
53	मदन पिता बिंद्रावन पता सा. देह भूमिस्वामी	415/1	0.430	0.10	
54	भरोसी पिता हल्का पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	418	1.150	0.07	
55	गोरेलाल पिता बाबूलाल भाग 1/8, कलू पिता बाबूलाल भाग 1/8, लक्ष्मन पिता बाबूलाल भाग 1/8, धरमवती पिता बाबूलाल भाग 1/8, उमाबाई पिता बाबूलाल भाग 1/8, रामचरण पिता बाबूलाल भाग 1/8, इमरती पिता बाबूलाल भाग 1/8, शीलरानी बेबा बाबूलाल भाग 1/8 पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	420/1	0.200	0.20	
56	गोरेलाल पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	420/2	0.270	0.19	
57	कलू पिता बाबूलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	420/3	0.200	0.19	
58	लक्ष्मन पिता बाबूलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	420/4	0.260	0.19	
59	राचरन पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	420/5	0.260	0.19	
60	रुकमन पिता कलू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	420/6	0.200	0.20	
61	मुकेश पिता रामेश्वर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	424/1	0.580	0.02	
		426/1	0.350	0.07	
62	बेनी पिता रामेश्वर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी	424/2	0.830	0.02	
		426/2	0.350	0.05	
63	राजेश उर्फ लीलाधर पिता रामेश्वर सा. देह भूमिस्वामी	424/3	0.930	0.02	

64	गनेशीबाई बेबा कनई सा. देह भूमिस्वामी	425	0.330 .	0.10	
65	रामेश्वर पिता छैकोड़ी पता सागर भूमिस्वामी	427	1.120	0.15	
		428/1	0.970	0.22	
	योग:-				76 36.41 5.62

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16—15—(8)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-0016-अ-82-23-24-भू-अर्जन-2024-6129

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के किशनगढ़ जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	किशनगढ़ जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	रहली
3.	ग्राम	:	किशनगढ़
4.	पट.ह.नं.-	:	35
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	4.69 है।

:: अनुसूची-1 ::

सं. क्र.	भू-धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	भजन पिता लीलाधर पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	21/1 70/1	0.800 1.730	0.010 0.200	
2	संतोष पिता लीलाधर पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	21/2 70/2	0.130 1.430	0.010 0.200	
3	रुपसींग पिता रामचरन भाग 1/3, रघुनाथसींग पिता रामचरन भाग 1/3, भगवानदास पिता रामचरन भाग 1/3 पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	23	0.040	0.020	
4	अशोक पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	24/1	0.200	0.070	
5	दशरथ पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	24/2	0.200	0.070	
6	कीरत पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	24/3 68/1	0.380 0.660	0.070 0.100	
7	नंदराम पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	24/4 68/2	0.380 0.670	0.070 0.100	
8	नारायण पिता कल्लू भाग 1/3, ताराबाई पिता कल्लू भाग 1/3, उमाबाई पिता कल्लू भाग 1/3, पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	25	0.900	0.070	
9	बीरेन्द्र पिता फुन्दीलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	27	0.920	0.110	
10	राजेन्द्र पिता मकुन्दी 1/5 भाग, जगदीश पिता मकुन्दी 1/5 भाग, सीताराम पिता मकुन्दी 1/5 भाग, सुनील पिता मकुन्दी 1/5 भाग, प्रभाबाई, कलावती, मीना पिता मकुन्दी 1/5 भाग, पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	28/4	1.330	0.400	

11	सुर्यकांत चौबे पिता श्यामसुंदर चौबे पता सागर भूमिस्वामी	28/5	1.330	0.200	
		29/2/1/2	0.200	0.050	
		81	1.850	0.110	
12	बलराम पिता बाबूलाल पता रहली भूमिस्वामी	29/2/1/1	0.600	0.050	
13	सीतारानी काढी पति दलपत पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	29/2/2	0.200	0.050	
14	धनीराम पिता खिलान पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	36/1	0.400	0.010	
15	नंदलाल पिता खिलान पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	36/2	0.400	0.010	
16	होरालाल पिता खिलान पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	36/3	0.400	0.050	
17	दयाराम पिता भगोली पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	37	0.470	0.050	
18	मन्नू पिता भगोली पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	38	0.480	0.050	
19	जमना पिता भगोली पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	39	0.970	0.070	
		40/4	0.290	0.080	
20	राकेश कुमार पिता धनश्याम	52/1	0.320	0.220	
21	यशोनंदन पिता बृजलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	52/2/1	0.590	0.220	
22	सुदामा पिता बृजलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	52/2/2	0.600	0.220	
23	देवेन्द्र पिता धनश्यामप्रसाद पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	75/1	1.500	0.100	
24	प्रदीप पिता धनश्यामप्रसाद पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	75/2	1.360	0.040	
25	बीरेन्द्र पिता फुन्दीलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी	79	1.820	0.170	
26	लखन बीरेन्द्र पिता फुंदीलाल, नारायण पिता कलू ताराबाई उमाबाई पिता कलू निवासी किशनगढ़ भूमिस्वामी	95	1.050	1.050	
		98	0.390	0.390	
	योग :-	34	24.990	4.690	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ 16—15—(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी २लाई तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—१ सागर प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16—15—(8)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू—अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—१ सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—१ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-0017-आ-82-23-24-भू-अर्जन-2024-6130

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के किशनगढ़ जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढ़ेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	किशनगढ़ जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	रहली
	3. ग्राम	:	देवरी चौधरी
	4. पट.ह.नं.-	:	38
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.71 है।

:: अनुसूची-1 ::

संक्र.	भू-धारक का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	मनोज, बृजेश, मनीष पिता दिलीप कुमार मायारानी पत्नि दिलीप कुमार पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	34	0.74	0.05	
2	संजय पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, दामोदर पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, भरत पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, सुनीतारानी पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, लक्ष्मीरानी पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, कौशल्यारानी पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, अनुसुईया पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, जयरानी वेवा कामता कुर्मी भाग 1/8 पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36/1	0.44	0.09	
3	राहुल ब्याहामण हजारी पिता भगवतप्रसाद पता सहजपुरी कला रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	44/2	0.32	0.05	
4	ब्रजेश मिश्र पिता दिलीप कुमार पता सहजपुरी कला रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45/1/1 45/2/2	0.70 0.10	0.09	
5	मनीष हजारी पिता दिलीप कुमार पता सहजपुरी कला रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	45/1/2 45/2/1	0.10 0.70		

6	उमांशंकर पिता मुशीलाल पता सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	46	0.72	0.07	
7	राजेश कुमार पडरया पिता उमांशंकर पडरया पता सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	78	0.81	0.08	
8	राजेश पिता भगवानदास पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	82/3	1.41	0.01	
9	रामशेवक पिता हल्का कुर्मी पता रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	82/4/1	0.81		
10	कन्हौयालाल पिता बौजनाथ पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	82/4/2	0.26	0.09	
11	रुकमनबाई उर्फ अशोकरानी कुर्मी पल्लि बाबूलाल पता रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	82/5	0.90	0.01	
12	कीर्ति कुर्मी पति राजकुमार पता रहली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83/3	0.28	0.11	
13	देशरानी बेबा ग्याप्रसाद निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83/1	0.27	0.06	
	योग:-		15	8.56	0.71	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साढ़े) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-11-अ-82-22-23-भू-अर्जन-बरखेड़ा-7472

बैतूल, दिनांक 16 अगस्त 2024

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	घाट पिपरिया नया	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	घाटबिरोली लघु जलाशय के इब क्षेत्र एवं पंढरीदेव मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	पिरम उर्फ प्रेमलाल पुत्र टुटकू जाति नाई नि. बरखेड़	634/1	0.808	0.150
2	गहना उर्फ रामरती पिता घुसी, लंकी पिता घुसी जाति पवांर निवासी बरखेड़	634/2	1.500	0.270
3	गुलाबराव पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़	634/3	0.269	0.070
4	गोपाल पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़	634/4	0.269	0.080
5	सन्तोष पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़	634/5	0.270	0.090

6	नत्थू पिता टाटरु नि. बरखेड़	637/1	1.289	0.060
7	चिन्धी बेवा कुंवरलाल, संतोष, अनिल, अशोक पिता कुंवरलाल, सविता, गीता, बबली पिता कुंवरलाल नि. बरखेड़	633/1	0.607	0.100
8	गंगाराम पिता बिरज नि. बरखेड़	633/2	0.607	0.100
	योग	8	5.619	0.920

1 - चॉकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घाटबिरोली लघु जलाशय परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), सारंगपुर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश**

क्र.-1871—भू—अर्जन—2024

सारंगपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024

प्रारूप—ख

[नियम 5 का नियम (2) देखिये]

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की भोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बार्या तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम-निपानिया रुवाला तहसील - पचोर जिला राजगढ़ (D3) से सर्वथित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारंगपुर एवं खिलचीपुर एवं राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (1)					
ग्राम-निपानिया रुवाला		तहसील-पचोर			
क्र.	विवरण	उपयोग में आने भूमि का रकबा (हेक्टर में)			
1	निजी भूमि भोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कल रकबा (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	5.497	0.089
		योग-		5.497	0.089
अनुसूची (2)					
मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-निपानिया रुवाला ,तहसील-पचोर ,जिल्हा-राजगढ़					
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्थानी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	55/1	सौरमन्डाई बेवा राधाकिशन जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.506	0.019

2	52/2/1	जगदीश पिता किशनलाल जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.112	0.003
3	52/2/2	प्रेमनारायण पिता किशनलाल जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.356	0.003
4	52/2/3	बद्रीलाल पिता किशनलाल जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.116	0.003
5	52/2/4	अंवरलाल पिता किशनलाल जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.322	0.004
6	53	शासकीय	निपानिया रुवाला	0.388	0.003
7	50/2/3	गणपत पिता नाथू व मु कमलाबाई बेवा मांगीलाल बाबूलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई	निपानिया रुवाला	0.010	0.008
8	49/1	देवकरण पिता गंगाधर जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.883	0.007
9	49/2	छगनलाल पिता काना जी जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.882	0.007
10	41/1/1	सत्यनारायण पिता गजराजसिंह जाति रुहेला	निपानिया रुवाला	0.995	0.009
11	41/1/2	सुरेश पिता गजराजसिंह जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.506	0.015
12	44	लक्ष्मीनारायण पिता नन्हूलाल जाति रुवाला	निपानिया रुवाला	0.421	0.008
कुल योग	12			5.497	0.089

क्र.-1873—भू—अर्जन—2024

क्रमांक 5 सन 2013 अंतर्वर राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बार्या तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- रायपुरिया . तहसील - पचोर जिला राजगढ़ (D3) से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारगपुर एवं खिलचीपुर एवं राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अंतर्वर राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अंतर्वर मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू- अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (1)

ग्राम -रायपुरिया	विवरण	तहसील -पचोर	
क्र.		उपयोग में आने भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कल रकबा (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		31.002	0.601
	योग-	31.002	0.601

अनुसूची (2)

मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-रायपुरिया ,तहसील - पचोर ,जिल्हा- राजगढ़

अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	198/1	धर्मेंद्र पिता मांगीलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.228	0.015
2	198/1	धर्मेंद्र पिता मांगीलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.228	0.003

3	199/9/1	भागीरथ पुत्र नाथूलाल जाति गेहलोत	रायपुरिया	0.987	0.005
4	199/9/2	भागीरथ पुत्र नाथूलाल जाति गेहलोत	रायपुरिया	0.253	0.005
5	201/1	ओकारसिंह पिता बापूसिंह जाति गेहलोत	रायपुरिया	0.386	0.005
6	200	गोविन्दसिंह पिता पूरालाल जाति सौंधिंया	रायपुरिया	0.304	0.016
7	193/2	प्रेमसिंह पिता गोपीलाल जाती गेहलोत	रायपुरिया	0.455	0.008
8	224	प्रेमसिंह पिता गोपीलाल जाती गेहलोत	रायपुरिया	0.392	0.010
9	190/2/1	प्रह्लाद पिता हीरालाल जाती सुतार	रायपुरिया	1.000	0.017
10	190/1/2	बाबूलाल पिता रामचन्द्र जाती सुतार	रायपुरिया	3.591	0.020
11	188/3/3	संगीताबाई पति भगीरथ जाती सुतार	रायपुरिया	1.518	0.004
12	188/3/2	जीतेन्द्रकुमार पिता भगीरथ जाती सुतार	रायपुरिया	1.020	0.014
13	188/3/1	संगीताबाई बेवा भागीरथ जाती सुतार जितेन्द्र पिता भागीरथ जाती सुतार राजेन्द्र पिता भागीरथ जाती सुतार बबीता पिता भागीरथ जाती सुतार	रायपुरिया	1.518	0.010
14	188/2/1	जितेन्द्र पिता भागीरथ जाती सुतार	रायपुरिया	0.506	0.003
15	114/2/1	रमेशचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.031	0.013

16	187/1/2/1	रामविलास पिता अमृतलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.645	0.013
17	187/1/2/2	नंदकिशोर उर्फ नन्दलाल पिता अमृतलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.644	0.008
18	164/2/1	रंगलाल पिता अमृतलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.379	0.013
19	167/1/3	प्रेमसिंह पिता मदनलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.445	0.007
20	167/1/1	आगीरथ पिता मदनलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.890	0.014
21	198/2	विशाल पिता बालकृष्ण ना बा सर पि बालकृष्ण पि नाथूलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.227	0.005
22	203	रास्ता -खुजनेर से पचोर हाइवे	रायपुरिया	0.291	0.002
23	194/1	मांगीलाल पुत्र नाथू लाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	1.012	0.021
24	195/3	कुमेरसिंह पिता गोपीलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.013	0.005
25	195/2	प्रेमसिंह पिता गोपीलाल जाती गैहलोत	रायपुरिया	0.013	0.012
26	223	विशाल पिता बालकृष्ण ना बा सर पि बालकृष्ण पि नाथूलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.342	0.010
27	225/2	बद्रीलाल पिता मदनलाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.582	0.003
28	225/2	बद्रीलाल पिता मदनलाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.582	0.010
29	221/1	कमलाबाई पति भंवरलाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.936	0.045

30	220/1	अवरीबाई पुत्री मदनला जाति सुतार	रायपुरिया	0.694	0.017
31	220/2	जगदीश पिता बिहारीलाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.538	0.029
32	220/3	जगदीश पिता बिहारीलाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.538	0.016
33	248/2	बिहारीलाल पिता मदनलाल जाति सुतार	रायपुरिया	1.569	0.014
34	249/1	सत्यनारायण पिता गणपतलाल जाति सूतार	रायपुरिया	1.063	0.002
35	251/2	नंदलाल पिता बापुलाल जाति धाकड	रायपुरिया	1.518	0.025
36	253/2	रास्ता -रायपुरिया से पचोर शासकीय	रायपुरिया	0.904	0.001
37	253/1	नाथूलाल पिता मार्गीलाल जाति चमार	रायपुरिया	0.500	0.011
38	272/2/2	संगीताबाई बेवा विष्णुप्रसाद मयंक खुशहाल पिता विष्णुप्रसाद जाति सूतार	रायपुरिया	0.558	0.029
39	278/2	मार्गीलाल पुत्र रामलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.253	0.013
40	278/1/3	राधेश्याम पिता रामलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.329	0.008
41	278/1/2	अमृतलाल पिता रामलाल जाति गैहलोत	रायपुरिया	0.329	0.008
42	544	चंद्रसिंह पिता पूरालाल जाति सौंधिंया	रायपुरिया	0.013	0.013
43	557	रमेशचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड	रायपुरिया	0.101	0.007
44	270/2	गोविन्दसिंह पिता पूरालाल जाति सौंधिंया	रायपुरिया	0.255	0.022

45	559/2	विरमसिंह पिता पूरालाल जाति सौंधिया	रायपुरिया	0.126	0.019
46	560	हरिओम पिता नंदलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.519	0.009
47	562/1/1	रमेशचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.190	0.003
48	562/1/2/2	केशरसिंह पिता शिवलाल जाति धाकड़	रायपुरिया	0.017	0.003
49	564/2/3	अमरसिंह पिता चम्पालाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.118	0.004
50	564/2/2	जगदीश पिता चम्पालाल जाति सुतार	रायपुरिया	0.118	0.015
51	550/2/1	शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति गेहलोत	रायपुरिया	0.044	0.016
52	575	नाला	रायपुरिया	1.290	0.001
कुल योग	52			31.002	0.601

क्र.-1875-भू-अर्जन-2024

प्रारूप - ख								
नियम 5 कानियम (2) देखिये								
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अंतर्वर राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वहद सिचाई परियोजना बार्या तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- भण्डावद . तहसील - पचोर जिला राजगढ़ (D3) से सबैधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारंगपुर एवं खिलचीपुर एवं राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।</p> <p>और अंतर्वर राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।</p> <p>अंतर्वर मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविधानीय एवं भू- अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>								
अनुसूची (1)								
ग्राम-भण्डावद		तहसील-पचोर						
क्र.	विवरण	उपयोग में आने भूमि का रकबा (हेक्टर में)						
1	निजी भूमि मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कल रकबा (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में					
		20.485	0.579					
	योग-	20.485	0.579					
अनुसूची (2)								
मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-भण्डावद , तहसील - पचोर, जिल्हा- राजगढ़								
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)			
1	279	मथरालाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत	भण्डावद	0.050	0.020			
2	278	नाला	भण्डावद	0.385	0.010			
3	276/1/1	बाबूलाल पिता रणजीतसिंह जाति गेहलोत	भण्डावद	0.089	0.007			

4	276/1/3	हरिसिंह पिता रणजीतसिंह जाति गेहलोत	भण्डावद	0.089	0.012
5	276/2/2/2	जानसिंह पिता नारायणसिंह जाति गेहलोत	भण्डावद	0.318	0.013
6	276/2/4	देवकरण पिता नाथूलाल जाति गेहलोत	भण्डावद	0.190	0.004
7	279/619/2	चंद्रसिंह पिता नाथूलाल जाति गेहलोत	भण्डावद	0.027	0.004
8	271/3/1	धनसिंह पिता नाथूलाल जाति गेहलोत	भण्डावद	0.073	0.008
9	273/1/2	रामचन्द्र पिता भेरु जाति धोबी	भण्डावद	0.176	0.015
10	273/1/1	जितेन्द्र पिता गंगाधर जाति धोबी	भण्डावद	0.176	0.011
11	275/5	हिम्मतसिंह पिता श्री भेरुसिंह जाति गेहलोत	भण्डावद	0.089	0.002
12	340/1/3	प्रभुलाल पिता कन्हैयालाल जाति धोबी	भण्डावद	0.039	0.005
13	342/1	विजयसिंह अनुसुईयाबाई पिता बापूलाल जसवतसिंह तेजसिंह होकमसिंह शारदाबाई पिता नारायणसिंह रेशमबाई बेवा नारायणसिंह जाति गेहलोत	भण्डावद	0.408	0.010
14	342/3	सुभागसिंह विजयसिंह अनुसुईयाबाई पिता बापूलाल जाति गेहलोत	भण्डावद	0.407	0.011
15	342/2/1	होकमसिंह पिता नारायणसिंह जाति गेहलोत	भण्डावद	0.203	0.006
16	346/3	सुभागसिंह विजयसिंह अनुसुईयाबाई पिता बापूलाल जाति गेहलोत	भण्डावद	0.374	0.008
17	302	रास्ता भंडावाद टू पचोर	भण्डावद	0.146	0.001
18	397/2	रेखाबाई बेवा दिलीपकुमार जाति जाटपवन पिता दिलीपकुमार जाति जाट	भण्डावद	0.680	0.012
19	397/1/2	रविकुमार पिता हरिनारायण जाति जाट	भण्डावद	0.379	0.080
20	399/1	हरिनारायण पिता मोतीलाल जाति जाट	भण्डावद	0.707	0.010
21	399/3	मेवावाई बेवा नंदकिशोर सतीश कुमार दिनेश आ नंदकिशोर जाति जाट	भण्डावद	0.707	0.010
22	399/2/1/1	प्रेमनारायण पिता मोतीलाल जाति जाट	भण्डावद	0.251	0.011

23	415/1/3	महेश पिता अमरसिंह जाति गैहलोत	भण्डावद	0.147	0.013
24	415/1/4	जीवनसिंह पिता अमरसिंह जाति गैहलोत	भण्डावद	0.027	0.014
25	415/2	प्रेमनारायण पिता नारायण सिंह जाति सुतार	भण्डावद	0.161	0.014
26	415/1/1	राकेश पिता हरिसिंह जाति गैहलोत	भण्डावद	0.148	0.010
27	425	शांन्तिबाई बेवा बाबुलाल जगदीश कमलप्रसाद मोहनलाल पिता बाबुलाल जाति जाट	भण्डावद	2.671	0.012
28	435	लक्ष्मीबाई बेवा धीसालाल जाति दर्जी हरिनारायण पिता रामप्रसाद जाति दर्जी राधेश्याम पिता रामप्रसाद जाति दर्जी कोशल्याबाई पिता रामप्रसाद जाति दर्जी कृष्णबाई पिता रामप्रसाद जाति दर्जी श्यामाबाई पिता रामप्रसाद जाति दर्जी ललीत पिता धीसालाल जाति दर्जी जगदीश पिता धीसालाल जाति दर्जी हीरामणी पिता धीसालाल जाति दर्जी	भण्डावद	0.729	0.013
29	434/1	पवन पिता दुर्गाप्रसाद जाति माली	भण्डावद	0.344	0.010
30	434/2	पवन पिता दुर्गाप्रसाद जाति माली	भण्डावद	0.574	0.010
31	433/1/2	जगदीश पिता पननालाल जाति माली	भण्डावद	0.126	0.005
32	433/4	इन्दरसिंह पिता पन्नालाल जाति माली	भण्डावद	0.220	0.005
33	433/2	रामबाबू पिता दुर्गाप्रसाद जाति माली	भण्डावद	0.125	0.004
34	432	श्यामाबाई पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति माली	भण्डावद	1.356	0.035
35	447	एहसान अली पिता बाबूखाँ जाति मुसलमान	भण्डावद	0.279	0.011
36	449/2	हरिसिंह पिता दरियावसिंह जाति नट	भण्डावद	0.162	0.004
37	449/3	चेनसिंह पिता दरियावसिंह जाति नट	भण्डावद	0.074	0.017
38	449/1/3	संतोष पिता जगन्नाथ जाति नट	भण्डावद	0.036	0.014
39	451/1/1	कमलसिंह पिता धीसालाल जाति गैहलोत	भण्डावद	0.292	0.011
40	451/1/1	अचलसिंह पिता धीसालाल जाति गैहलोत	भण्डावद	0.292	0.012

41	582/2	मोहनलाल पिता बापूलाल जाति धोबी	भण्डावद	0.255	0.010
42	589/2	मुकेश पिता जगन्नाथ जाति नट	भण्डावद	0.172	0.011
43	587	मोहनलाल पिता बापूलाल जाति धोबी	भण्डावद	0.494	0.011
44	589/5/1	हरिसिंह पिता दरयावसिंह जाति नट	भण्डावद	0.188	0.011
45	587	मोहनलाल पिता बापूलाल जाति धोबी	भण्डावद	0.494	0.010
46	589/4	चेनसिंह पिता दरियावसिंह जाति नट	भण्डावद	0.515	0.004
47	589/4	चेनसिंह पिता दरियावसिंह जाति नट	भण्डावद	0.515	0.008
48	589/3	कृष्णबाई पति ओमप्रकाश जाति नट	भण्डावद	0.173	0.006
49	589/9	चेनसिंह पिता दरियावसिंह जाति नट	भण्डावद	0.099	0.003
50	589/1	संतोष पिता जगन्नाथ जाति नट	भण्डावद	0.172	0.003
51	592/1	देवीलाल पिता मोतीलाल जाति धोबी	भण्डावद	0.230	0.002
52	425	शान्तिबाई बेवा बाबुलाल जगदीश कमलाप्रसाद मोहनलाल पिता बाबुलाल जाति जाट	भण्डावद	2.671	0.002
53	426/2	हरिनारायण पिता मोतीलाल जाति जाट	भण्डावद	0.060	0.007
54	426/1	प्रेमनारायण पिता मोतीलाल जाति जाट	भण्डावद	0.721	0.007
कुल ग्राहक	54			20.485	0.579

क्र.—1877—भू—अर्जन—2024

प्रारूप - ख					
नियम 5 कानियम (2) देखिये					
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अंतर्वर राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की भोजनपुरा बहुद सिंचाई परियोजना बार्या तट नहर के परिवहन हेतु शाम- गुलखेड़ीकला-हसील- पचोर जिला राजगढ़ (D3) से संबंधित यामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारगंपुर एवं खिलयीपुर एवं राजगढ़ जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इंरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।</p> <p>और अंतर्वर राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अंजन किया जाए।</p> <p>अंतर्वर मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अंजन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अंजन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लोधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के लिये पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सकाम अनुविभागीय एवं भू-अंजनाधिकारी राजस्व सारगंपुर- पचोर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आकोप भेज सकेगा।</p>					
अनुसूची (1)					
शाम- गुलखेड़ीकला		तहसील -पचोर			
क्र.	विवरण	उपयोग में आने भूमि का रकमा (हेक्टर में)			
1	निजी भूमि भोजनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकमा (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	5.497	0.043
		योग-		5.497	0.043
अनुसूची (2)					
अनुसूची (2)	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी/अधिकारी का नाम	शाम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टर में)
1	55/1	श्रीमति रमकूबाई पिता दौलतराम जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	1.125	0.002
2	64	श्रीमति गीताबाई पिता कशीराम जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	0.683	0.020
3	65	श्रीमति यशोदाबाई पिता प्रभुलाल जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	1.353	0.016
4	68/1	रंगलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	0.381	0.001
5	68/2	गीताबाई बेवा भागीरथ व कन्हैयालाल लक्ष्मीचंद पिता भागीरथ व सुगनबाई पुती भागीरथ जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	0.382	0.002
6	68/4	रामनारायण पिता देवचन्द जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	0.407	0.001
7	68/5	जगदीश पिता हरिसिंह जाति धाकड़	गुलखेड़ीकला	0.470	0.001
कुल योग	7			4.801	0.043

क्र.-1877-भू-अर्जन-2024

प्रारूप - खा**नियम 5 कानियम (2) देखिये**

क्रमांक 5 सन 2013 अंतर्वर राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बार्या तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम-सेमलीधाकड़ ,तहसील - पचोर जिला राजगढ़ (D3) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारगपुर एवं खिलचीपुर एवं राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अंतर्वर राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अंतर्वर मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू - अर्जनअधिकारी राजस्व सारगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (1)

ग्राम-सेमलीधाकड़	तहसील - पचोर		
क्र.	विवरण	उपयोग में आने भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट के निर्माण काये हेतु	कुल रकबा (हेक्टर में)	उपयोग के अधिकार के लिये अंजित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		14.019	0.271
	योग-	14.019	0.271

अनुसूची (2)

मोहनपुरा बार्या तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-सेमलीधाकड़ ,तहसील - पचोर ,जिल्हा- राजगढ़

अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	652	शासकीय	सेमलीधाकड़	0.283	0.006
2	653/1	नंदकिशोर पिता देवीलाल जाति धोबी	सेमलीधाकड़	0.758	0.018

3	653/2	रामचन्द्र पिता सदाजी जाति भील	सेमलीधाकड	0.758	0.008
4	653/3	रामलाल पिता दोला जाति बलाई	सेमलीधाकड	0.758	0.010
5	530/1/1	रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.242	0.022
6	558/1/1	रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.185	0.012
7	562	विजयकुमार अजयकुमार पिता कंवरलाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.170	0.012
8	567/2	रंगलाल पिता धीसालाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.089	0.006
9	568	सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.089	0.005
10	573	फूलसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.202	0.005
11	590	आगीरथ पिता पुरालाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.097	0.003
12	588/2	अनोखसिंह पिता भवरलाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.053	0.004
13	587	अनोखसिंह पिता भवरलाल जाति धाकड	सेमलीधाकड	0.376	0.010

14	718/2	<p>देवीलाल पिता किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>तुलसीबाई बेवा तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>शिवनारायण पिता तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>मांगीबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>डालूबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>सुगनबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>हाकमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>सोदराबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>प्रेमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>ललताबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>ओमप्रकाश पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>मथुरालाल पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>गोपीबाई बेवा किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>आगीरथ पिता किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>शांतिबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़</p>	सेमलीधाकड़	0.318	0.004
15	720	<p>देवीलाल पिता किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>तुलसीबाई बेवा तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>शिवनारायण पिता तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>मांगीबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>डालूबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़</p> <p>सुगनबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>हाकमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>सोदराबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>प्रेमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>ललताबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>ओमप्रकाश पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>मथुरालाल पिता केशरसिंह जाति धाकड़</p> <p>गोपीबाई बेवा किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>आगीरथ पिता किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़</p> <p>शांतिबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़</p>	सेमलीधाकड़	0.376	0.012
16	713	रास्ता	सेमलीधाकड़	0.810	0.001

17	731	देवीलाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ तूलसीबाई बेवा तोलाराम जाति धाकड़ शिवनारायण पिता तोलाराम जाति धाकड़ मांगीबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ डालूबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ सुगनबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ हांकमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ सोदराबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ प्रेमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ललताबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ओमप्रकाश पिता केशरसिंह जाति धाकड़ मथुरालाल पिता केशरसिंह जाति धाकड़ गोपीबाई बेवा किशनलाल जाति धाकड़ आगीरथ पिता किशनलाल जाति धाकड़ कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ शंतिबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.142	0.005
18	732/2	मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.308	0.010
19	732/2	मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.308	0.002
20	807/4/3	अनिल कुमार पिता भागीरथ जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.100	0.010
21	807/1	कैलाशनारायण पिता भागीरथ जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.350	0.011
22	808	राजेश पिता परसराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.393	0.014
23	809/1	कोशल्याबाई पति परसराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड	0.800	0.018
24	823/2	देवेन्द्र पिता कालूराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड	1.012	0.003
25	752/1	रामचंद्र पिता हीरालाल जाती धाकड़	सेमलीधाकड	0.239	0.004
26	823/1	हेमराज पिता कालूराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड	1.011	0.011

27	823/2	देवेन्द्र पिता कालूराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	1.012	0.012
28	822	रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	0.470	0.007
29	835	पार्वतीवाई पति कालूराम जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	0.733	0.001
30	836	मांगीलाल पिता घीसालाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	0.536	0.011
31	837	भवरलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ राधेश्याम पिता रंगलाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	0.647	0.007
32	838/1	बनवारी पिता बन्दीलाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	0.263	0.004
33	838/2/1	रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड़	सेमलीधाकड़	0.131	0.003
कुल योग	33			14.019	0.271

संजय उपाध्याय, अनुविभागीय अधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

सीहोर, दिनांक 28 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अंधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची - 1 :-

भूमि/मकानों/परिवारों का वर्णन

- (क) जिला - सीहोर
- (ख) तहसील - श्यामपुर
- (ग) ग्राम - रावतखेड़ा
- (घ) क्षेत्रफल - भूमि 1.738 हेक्टेर, मकान 507.24 वर्ग मीटर, 10 परिवार

--: अनुसूची - 2 :-

निजी भूमि

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
4	गव्वर जाटव नाथा, पिता कैलाश जाटव सरकंक बुआ नामीबाई पुत्री लालजीराम जाति चमार निवासी रावतखेड़ा अहसतातरणीय	4/4	1.134	1.134	
		46	0.866	0.604	
	कुल योग:-		2	2.000	1.738

निजी भूमि/आबादी में स्थित मकान

स.क्र.	मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	रकबा (वर्ग मी.)	भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश	19	1	पक्का मकान कच्चा मकान	44.00 39.18	कच्चापाल सिंह पिता नारायणसिंह	1.भवन का रखानित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्के में आया है। 2.अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भू अर्जन प्रक. 04/अ-82/

				टीन शेड	43.18		2021-22 में प्रचलित है।
	योग—:			126.36			
2	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता इयामपुर सीहोर मध्य प्रदेश	19	2	कच्चा मकान	87.60	लखनसिंह पिता नारायणसिंह	1.भवन का स्वामित्व मूल भूमि रखामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2.अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भू अर्जन प्र.क. 04/अ-82/ 2021-22 में प्रचलित है।
	योग—:			147.17			
3	शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावंतीवाई वैद्या चुन्नीलाल कमलबाईपुरी चुन्नीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश	12	3	कच्चा मकान	65.33		ग्राम आबादी में।
	योग—:			173.93			
4	शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी	12	5	टीन शेड	25.16	नेपाल सिंह पिता बलराम सिंह	ग्राम आबादी में।
	योग—:			25.16			
5	शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी	12	5	ईट की दीवार	2.32	शिवपाल सिंह पिता मांगीलाल	ग्राम आबादी में।
	योग—:			2.32			
6	गोपाल पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि रखामी	193/12	4	कच्चा मकान	32.30	प्रेमनारायण पिता पन्नालाल	1.भवन का स्वामित्व मूल भूमि रखामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2.अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भू अर्जन प्र.क. 04/अ-82/ 2021-22 में प्रचलित है।
	योग—:			32.30			

	महायोग—:				507.24			
पार्वती परियोजना अंतर्गत ढूब प्रभावित ग्राम रावतखेड़ा के पूरक प्रकरण में प्रभावित हो रहे मकानों में निवासरत परिवारों की जानकारी								
स.क.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	18 वर्ष से उपर	विधवा/तलाकशुदा/अन्य	मूल परिवार
1	कृष्णपालसिंह पिता नारायणसिंह	कृष्णपालसिंह	स्वयं	39	सामान्य	-	-	1
2		पदमकंवर	पत्नी	36	सामान्य	-	-	
3	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह	लाखनसिंह	स्वयं	42	सामान्य	-	-	1
4		संतोष कुवर	पत्नी	38	सामान्य	-	-	
5		राजपाल	पुत्र	24	सामान्य	1	-	
6		महिपाल	पुत्र	22	सामान्य	1	-	
7	राजेंद्र सिंह पिता माधोसिंह	राजेंद्र सिंह	स्वयं	35	सामान्य	-	-	1
8		प्रेम कंवर	पत्नी	39	सामान्य	-	-	
9		लोकेन्द्र सिंह	पुत्र	20	सामान्य	1	-	
10		नंदनी सोलंकी	पुत्री	20	सामान्य	1	-	
11	प्रेमनारायण पिता पन्नालाल	प्रेमनारायण	स्वयं	51	अजा	-	-	1
12		सुनिताबाई	पत्नी	48	अजा	-	-	
13		आशीष	पुत्र	21	अजा	1	-	
14		प्रिया	पुत्री	22	अजा	1	-	
		योग—:			6	0	4	
		महायोग—:			10			

नायंब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित ढूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गंवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हेक्टेयर एवं ग्राम कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4953/राजस्व 01 एवं राजस्व 02/एफ क. 13/21/2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवंथा किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियाँ, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का सदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निवाह भत्ता दिया जायेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा।
7. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास “हजार रुपये” पुर्णव्यवस्थापन भत्ता” दिया जायेगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि यां मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।
10. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा।
- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुर्णव्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्णव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
12. सभी पुर्णव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुर्णव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।
13. वार्तविक पुर्णव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।
14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।
16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से स्नार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आंधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।
22. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
25. बच्चों के लिये कीड़ा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबों के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा नं. 104/1 से रकबा 19.543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे0 भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।
32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत भूमि/मकान के रकबे में कमी-वैशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्षा प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तो निर्णय लेने का आंधिकार भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रमांक 0005 / अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित परिसंपत्ति एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्ववास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त परिवारों के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

परिसंपत्ति का वर्णन				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	धारा-12 हेतु अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर/दुर्गांव	818.77 वर्ग.मी.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से खूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

क्र.	मकान मालिक का नाम	सर्वे नं.	मकान नं.	कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	विजयसिंह पिता भंदरलाल	46	1	68.00	प्रस्तावित किये जा रहे परिसंपत्तियों (मकानों) का प्रकरण क्रमांक 0009 / अ-82 / 2017-18 में अवार्ड दिनांक 12 / 11 / 2021 द्वारा भूमि अर्जन कर संबंधितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, केवल इस प्रकरण में उक्त मकानों में निवासरत परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है।
2	रक्षाबाई पति महेन्द्रसिंह	46	2	34.00	
3	कमलाबाई पति गोरसिंह	55	3	84.35	
4	लालसिंह पिता गंगाराम	55	4	28.21	
5	सोरमबाई पति कमलसिंह	65/2	5	120.39	
6	रामकुंवारी पति रवि	65/2	6	53.96	
7	पर्वत पिता रामसिंह	65/2	8	51.42	
क्र.	मकान मालिक का नाम	सर्वे नं.	मकान नं.	कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
8	चरणसिंह पिता रामसिंह	65/2	9	68.64	प्रस्तावित किये जा रहे परिसंपत्तियों (मकानों) का प्रकरण क्रमांक 0009 / अ-82 / 2017-18 में अवार्ड दिनांक 12 / 11 / 2021 द्वारा भूमि अर्जन कर संबंधितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, केवल इस प्रकरण में उक्त मकानों में निवासरत परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है।
9	मोनीकर पति मोहनसिंह	65/2	10	37.80	
10	युवराजसिंह पिता महेन्द्रसिंह	121/2/1/2	11	72.00	
कुल योग:-				618.77	✓

1. भूमि के नववी (लाल) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 012/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची — 1 :-

भूमि/मकानों/परिवारों का वर्णन

- (क) जिला - सीहोर
- (ख) तहसील - श्यामपुर
- (ग) ग्राम - धांदबड़
- (घ) क्षेत्रफल - भूमि 7.848 हेक्टर, मकान 1316.14 वर्ग मीटर, 27 परिवार

—: अनुसूची — 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	नरेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	3/1/1/1	2.328	0.100	
2	उर्मिलाबाई पत्नी तीरथसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	9/2/1, 10/2	0.242	0.242	
3	जगन्नाथ पुत्र मोहनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	23/4/1	0.870	0.170	
4	गुलाबसिंह पुत्र मोहनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	23/4/2	1.145	0.925	
5	धापूबाई पत्नी गुलाबसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	23/4/3	1.234	0.894	
6	रायसिंह पुत्र बलदेव जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	23/3 23/1	0.607 0.202	0.200 0.202	
7	जगदीश पुत्र कथलसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	31/3	1.234	0.275	
8	रतिराम ननूलाल आ. बलराम केशराई रतनबाई बलराम जमुनाप्रसाद चतरीबाई आ. छगनलाल मदन तुलसीराम आ. देवीलाल जाति तेली पता सा. देह भूमि खामी प्यारीबाई बेवा मांगीलाल बसन्ती लाल रामगोपाल गंयासीराम आ. शंकरलाल जाति तेली पता सा. देह भूमि खामी	63	0.178	0.064	
9	गंधरलाल रामलाल गंगाराम पुत्र मुन्नलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	89	0.024	0.010	
10	धीरसीबाई गुलाबबाई पिता जंगन्नाथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि खामी सीहोर म.प्र.	90	0.040	0.020	
11	किशनसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम गूमि खामी सीहोर म.प्र.	91	0.036	0.008	
12	लखनलाल पुत्र तुलसीराम जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि खामी	15/1/1 15/4/1	0.461 0.911	0.461 0.282	

13	संतोष कुवर पालि गुणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/5/1 15/6	1.544 0.453	0.204 0.150	
14	फूलबतीबाई पुत्र बलूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/33/1	0.700	0.560	
15	हजारीलाल पिता बापू जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21/5/1	1.070	0.920	
16	अनवर खां आ गुल्लू खां जाति मुसलमान पता निवासी भोपाल	27/1	0.194	0.070	
17	महेश कुमार पुत्र तुलसीराम जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/2/2/1	0.609	0.500	
18	स्वरूप कुवर घोनि प्रेम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/2/1 34/2	0.093 0.562	0.030 0.562	
19	चौसीबाई गुलाबबाई पिता जगन्नाथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44	0.085	0.085	
20	ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/3	0.809	0.500	
21	शारदा बाई घोनि रमेशचन्द्र प्रजापति जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2/1	0.102	0.102	
22	माणीलाल पिता देवेलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/6	0.142	0.142	
23	गुड्डीबाई पत्नि मदनलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/1	0.377	0.100	
24	विमलेश पुत्र प्रेमनारायण जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/3	0.381	0.070	
	कुल योग :-	28	16.633	7.848	

निजी भूमि पर, स्थित दूब प्रभावित मकान

स.क्र.	नाम कृफक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	रक्का (वर्ग मी.)	रिमार्क
1	इन्दरसिंह पिता बद्रीप्रसाद	18/32	4	कच्चा मकान	17.67	
2	बद्रीप्रसाद	18/32	5	कच्चा मवगन	46.98	
3	समन्दरसिंह पिता अमरसिंह	21/4	6	कच्चा मकान	47.40	
4	जगन्नाथसिंह पिता मोहनलाल	32		टीन शेड		
5	रंगाधीन पिता मनसाराम	90	10	टीन शेड	47.58	
6	मोहनलाल पिता रामलाल	52/1	14	टीन शेड	32.40	
7	कैलाश पिता पन्नलाल	52/1	15	टीन शेड	40.40	
8	छोटेलाल पिता रामलाल	89	18	कच्चा मकान	63.57	
9	जसमन्तसिंह पिता प्रेमसिंह	90	19	पक्का मकान (गाडर पटटी)	43.70	
10	लक्ष्मणसिंह पिता धिरपासिंह	90	20	टीन शेड	77.82	
11	स्वरूप बाई पति प्रेमसिंह	128/2	23	बैंयर हाउस टीन शेड	394.74	
12	तंवरसिंह आ. भंवरसिंह	44	24	पक्का मकान पक्का मकान कच्चा मकान टीन शेड	201.04	दस्तावेजों के आधार पर नाम में सुधार किया गया।
13	इंदरसिंह आ. भंवरसिंह	44	25	कच्चा मकान पक्का मकान पक्का मकान टीन शेड टीन शेड शौचालय पक्का	170.91	दस्तावेजों के आधार पर नाम में सुधार किया गया।
14	दीपक राय पिता महेश राय	128/2/1	26	पक्की शराब की दुकान टीन शेड	34.44 19.32	
	कुल योग :-	14			1316.14	

ग्राम चांदबड़ के छूब प्रभावित परिवारों की सूची

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	18 वर्ष से ऊपर	विधवा/तलाकदा/अन्य	परिवार	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निजी भूमि पर स्थित									
1	इन्द्रसिंह पिता बद्रीप्रसाद	इन्द्रसिंह	स्वयं	38	अजा			1	
2		किरणबाई	पत्नी	36	अजा				
3	बद्रीप्रसाद पिता दुलिया	बद्रीप्रसाद	स्वयं	58	अजा			1	
4		पानबाई	पत्नी	58	अजा				
5		भूरा	पुत्र	39	अजा	1			
6		सीताशम	पुत्र	27	अजा	1			
7	समन्दरसिंह पिता अमरसिंह	समन्दरसिंह	स्वयं	50	पि.वर्ग			1	
8		सुरगनबाई	पत्नी	48	पि.वर्ग				
9		आराम सिंह	पुत्र	32	पि.वर्ग	1			
10		कान्हाराम	पुत्र	28	पि.वर्ग	1			
11	मोहनलाल पिता रामलाल	मोहनलाल	स्वयं	70	अजा			1	
12		राजबाई	पत्नी	61	अजा				
13		ताराचन्द	पुत्र	27	अजा	1			
14	कैलाश पिता पन्नालाल	कैलाश	स्वयं	36	अजा			1	
15		कुरुम	पत्नी	36	अजा				
16	छोटेलाल पिता रामलाल	छोटेलाल	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
17		गायत्रीबाई	पत्नी	35	पि.वर्ग				
18	लक्ष्मणसिंह पिता धीरपसिंह	लक्ष्मणसिंह	स्वयं	50	सामान्य			1	
19		गुडडीबाई	पत्नी	42	सामान्य				
20		रवि	पुत्र	25	सामान्य	1			
21		रणजीत	पुत्र	21	सामान्य	1			
22		टमू	पुत्री	20	सामान्य	1			
23	तंवरसिंह पिता भंवरसिंह	तंवरसिंह	स्वयं	43	सामान्य			1	
24		भारतकुंवर	पत्नी	40	सामान्य				
25		रूपकुंवर सोलंकी	पुत्री	23	सामान्य	1			
26		लौकन्द्र सोलंकी	पुत्र	19	सामान्य	1			
27		भंवरसिंह	पिता	70	सामान्य			1	
28		प्रेमकुंवर	माता	68	सामान्य				
29	इन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह	इन्द्रसिंह	स्वयं	38	सामान्य			1	
30		कमलेशकुंवर	पत्नी	35	सामान्य				
31		विरेन्द्र सोलंकी	पुत्र	20	सामान्य	1			
शासकीय भूमि स्थित									
32	मांगीलाल पिता गंगाशम	मांगीलाल	स्वयं	80	पि.वर्ग			1	
33		पुनियाबाई	पत्नी	75	पि.वर्ग				
34	सुरेश सेन पिता भंवरलाल	सुरेश	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
35		अनुकला बाई	पत्नी	43	पि.वर्ग				
36		तनु सेन	पुत्री	19	पि.वर्ग	1			
37	नारायणसिंह पिता नरसिंहलाल	नारायणसिंह	स्वयं	60	अजा			1	
38		चतरीबाई	पत्नी	55	अजा				
39		रवि	पुत्र	25	अजा			1	
40		पूजा	पुत्रवधू	25	अजा				

✓ 41	रामचरण पिता कनीराम	रामचरण	स्वयं	60	पि.वर्ग			1	मकान झूल प्रभावित नहीं है टापू की स्थिति है आवागमन बद्द हो जायेगा। पुनर्व्यवस्था पन किया जाना उचित होगा।
42		उमरीबाई	पत्नी	55	पि.वर्ग				
	योग					12	0	15	
	कॉलम नं (8+9+10)					27	✓		

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित द्वृब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा नं. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हेठो भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4955/राजस्व 01 एवं राजस्व 02/एफ क्र. 13/21/2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।
- समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।
 - जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।
या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा।

7. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुमति रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपये "पुर्नव्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा।

9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का बहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।

10. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापन के लिए अध्येक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहायिताएं और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभियात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनतम निम्नलिखित सहायिताएं और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जायें।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से संचानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं सम्मिलित हैं।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कबिस्तान या शवदाह गृह।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
25. बच्चों के लिये कीड़ा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष छौतरा।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबों के पुर्णव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 से रकबा 19. 543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे0 भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्णवासन और पुर्णव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा दुरगांव की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।
32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
 1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
 2. अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत भूमि/मकान के रकबे में कमी-वैशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्षा प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुलेपन न हो तो निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2021-22 पार्वती परियोजना के तहत प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 जून 2023 को कराया गया था, उक्त अधिसूचना उपरांत भवनों का स्थल सत्यापन व प्रभावित परिवारों का भौतिक सत्यापन किये जाने पर प्रभावित परिवारों की संख्या में विसंगति तथा कुछ नवीन पात्र परिवारों का प्रभावित होना पाया गया है, अतः दिनांक 23 जून 2023 को प्रकाशित धारा-19 की अधिसूचना निम्नानुसार संशोधित/अद्यतित की जाती है। इसी अद्यतित अधिसूचना के अनुसार भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी।

-: अनुसूची :-1

मकानों/परिवारों का वर्णन

- (क) जिला - सीहोर
- (ख) तहसील - श्यामपुर
- (ग) ग्राम - महुआखेड़ा
- (घ) क्षेत्रफल - 4111.57 वर्ग फीटर, 241 परिवार

-: अनुसूची :-2

स.क्र.	मकान धारक का नाम पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लंबाई	बैड़ी	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भगवतीवाई पति महेन्द्रसिंह	20	1 (1)	पक्का मकान गाडर (पहला तल)	9.60	7.00	67.20	183.04	
2	सूरजसिंह पिता फतेसिंह		2 (2)						
3	कमला बाई पति विश्रामसिंह		3 (3)	पक्का मकान (दूसरा तल)	9.60	7.00	67.20		
4	विजयसिंह पिता फतेसिंह		4 (4)	कच्चा मकान	12.80	3.80	48.64		
5	जोधाराम पिता गजराज सिंह	20	2	पक्का मकान	12.40	6.90	85.56	85.56	
6	गजराजसिंह पिता गंगाराम	20	3	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	8.78	6.40	56.19	175.07	
				कच्चा मकान	10.20	10.20	104.04		
				टीन शेड	5.60	2.65	14.84		
7	भगवतसिंह पिता गंगाराम	20	4	कच्चा मकान	15.70	3.55	55.74	74.71	
				पक्का मकान (गाडर पट्टी)	6.90	2.75	18.98		
8	हरिओम पिता भगवत सिंह	20	5	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	15.00	3.67	55.05	108.30	
				टीन शेड	15.00	3.55	53.25		
9	नेमसिंह पिता भगवतसिंह	20	6	कच्चा मकान	12.80	6.60	84.48	84.48	
10	हाकमसिंह पिता मोहसिंह	20	7	कच्चा मकान	7.90	6.70	52.93	52.93	
11	भारतसिंह पिता हजारीलाल	20	8	कच्चा मकान	6.50	4.80	31.20	31.20	
12	काशीराम पिता समसिंह	20	9	कच्चा मकान	6.50	3.70	24.05	24.05	

13	सविताबाई पति हाकमसिंह	20	10	पक्षा मकान	8.00	7.60	60.80	60.80	
14	शंकरसिंह पिता जगन्नाथ	20	11 (1)	कच्चा मकान	6.00	4.00	24.00	61.20	
15	रतनसिंह पिता मोहरसिंह		11 (2)		6.20	6.00	37.20		
16	सुन्दर पिता भगवतसिंह	20	12	कच्चा मकान	10.50	3.60	37.80	53.80	
				टीन शेड	4.00	4.00	16.00		
17	मोहरसिंह पिता भेहनलाल	20	13	कच्चा मकान	12.70	7.20	91.44	100.68	परिवार सूची के सरल क्रमांक 21 पर स्थित है।
					3.30	2.80	9.24		
18	ग्यारसीबाई पति मोहनलाल (मृतक)	20	14	कच्चा मकान	7.20	5.80	41.76	41.76	नामांतरण पश्चात वैघ चारिसाने को मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा।
19	हेमसिंह पिता जगन्नाथ	20	15	कच्चा मकान	4.50	4.00	18.00	18.00	
20	भेहरवानसिंह पिता हजारी लाल	20	16 (1)	कच्चा मकान	9.80	3.80	37.24	37.24	
			16 (2)	पक्षा मकान	15.40	7.80	120.12	149.00	
21	बापूलाल पिता जगन्नाथ			टीन शेड	7.60	3.80	28.88		
22	भूरसिंह पिता कालूराम	20	17	कच्चा मकान	6.80	3.80	25.84	25.84	
23	हरिसिंह पिता कालूराम	20	18	कच्चा मकान	7.80	6.90	53.82	53.82	
24	पर्वतसिंह पिता कालूराम	20	19	कच्चा मकान	6.90	6.20	42.78	42.78	
25	विश्राम सिंह पिता पर्वत सिंह	20	20	पक्षा मकान	7.65	7.60	58.14	58.14	
26	जगदीश पिता कचनसिंह	20	21	कच्चा मकान	7.00	5.30	37.10	37.10	
27	फूलसिंह पिता मुंशीलाल	20	22	कच्चा मकान	7.80	6.40	49.92	49.92	
28	कनीराम पिता जगन्नाथसिंह	20	23	कच्चा मकान	2.80	2.50	7.00	7.00	
29	कृपालसिंह पिता सरजनसिंह	20	24	कच्चा मकान	8.40	6.03	50.65	114.94	
					9.60	3.75	36.00		
					6.90	4.10	28.29		
30	खंगलाल पिता मुंशीलाल	20	25	कच्चा मकान	6.55	6.40	41.92	41.92	
31	शिवनारायण पिता जगन्नाथ	20	26	पक्षा मकान गाडर (पहला तल)	5.70	4.50	25.65	42.34	
				पक्षा मकान गाडर	4.45	3.75	16.69		
32	रामबाबू पिता जगन्नाथ	20	27	पक्षा मकान गाडर (पहला तल)	4.20	4.50	18.90	35.59	
		पक्षा मकान गाडर		4.45	3.75	16.69			

33	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	20	28	कच्चा मकान	6.80	6.00	40.80	40.80	
34	जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह	20	29	कच्चा मकाने	7.70	6.80	52.36	52.36	
35	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	20	30 (1)	पक्का मकान	3.60	6.60	23.76	47.52	
36	जगदीश पिता गनपतसिंह		30 (2)		3.60	6.60	23.76		
37	विजयसिंह पिता फतेसिंह	20	31	कच्चा मकान	6.70	6.20	41.54	41.54	
38	स्वर्णीनारायण पिता बलमतसिंह	20	32	कच्चा मकान	10.40	6.40	66.56	66.56	
39	पर्वतसिंह पिता जंगलाध	20	33	पक्का मकान	7.50	4.20	31.50	31.50	
40	आजादसिंह पिता हीरालाल	20	34	कच्चा मकान	14.00	6.50	91.00	145.72	
				टीन शेड	7.60	7.20	54.72		
41	सम्पत बाई पति हीरालाल	20	35	पक्का मकान गाडर (पहला तल)	12.00	3.70	44.40	88.80	
				कच्चा मकान (दूसरा तल)	12.00	3.70	44.40		
42	गजराजसिंह पिता बलराम	20	36	पक्का मकान गाडर पट्टी	13.90	3.80	52.82	58.82	
				गैलरी	3.00	2.00	6.00		
43	सुगनबाई पति दयालसिंह	20	37	कच्चा मकान	7.50	6.70	50.25	70.25	
				टीन शेड	8.00	2.50	20.00		
44	हरिसिंह पिता चैनसिंह	20	38	कच्चा मकान	8.50	6.60	56.10	81.60	
					8.50	3.00	25.50		
45	सुगनबाई पति दयालसिंह	20	39 (1)	पक्का मकान गाडर (पहला तल)				142.50	
46	काशीराम पिता मांगीलाल		39 (2)		9.50	7.50	71.25		
47	जसवंत पिता मांगीलाल		39 (3)						
48	भजनसिंह पिता मांगीलाल		39 (4)		9.50	7.50	71.25		
49	बनेसिंह पिता मांगीलाल		39 (5)						
50	भजनसिंह पिता मांगीलाल	20	40	कच्चा मकान	11.50	6.30	72.45	72.45	
51	बनेसिंह पिता मांगीलाल	20	41	कच्चा मकान	6.30	6.30	39.69	39.69	
52	हरजानसिंह पिता जंसर्वतसिंह	20	42	कच्चा मकान	8.70	3.60	31.32	62.64	
					8.70	3.60	31.32		

53	काशीराम पिता मार्गीलाल	20	43	कच्चा मकान	7.00	6.10	42.70	42.70	सरल क्रमांक 46 पर भी मकान होने से परिवार सूची में एक ही स्थान लाभान्वित होने की प्राप्ति है।
54	मोहरसिंह पिता कनीराम	28	44	कच्चा मकान	10.90	6.30	68.67	86.90	
				टीन शेड	6.75	2.70	18.23		
55	सवित्रिबाई पति सुरजसिंह	20	45	पक्का मकान गाडर पट्टी	8.80	2.70	23.76	23.76	
56	सुन्दरसिंह-पिता काशीराम	20	46	कच्चा मकान	12.80	7.00	89.60	116.20	
				टीन शेड	7.00	3.80	26.60		
57	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह	20	47	पक्का मकान	4.10	4.00	16.40	62.70	
				कच्चा मकान	4.00	3.10	12.40		
				टीन शेड	11.30	3.00	33.90		
58	विकमसिंह पिता चेनसिंह	20	48	पक्का मकान गाडर पट्टी	8.60	6.70	57.62	161.90	
				पक्का मकान	9.00	7.00	63.00		
				पक्का मकान	9.60	4.30	41.28		
महुआखेडा पुरा									
1	सुमित्रा बाई पति कल्याणसिंह	94/40	1	कच्चा मकान	7.9	6.70	52.93	52.93	
2	गुलाब बाई पति हजारीलाल	94/40	2	कच्चा मकान	6.70	6.70	44.89	44.89	
3	संदीपा बाई पति सुरेन्द्रसिंह	94/40	3	कच्चा मकान	8.45	6.55	55.35	55.35	
4	श्यामबाई पिता कल्याणसिंह	94/40	4	कच्चा मकान	6.20	4.20	26.04	26.04	धारा 3(ड) के अनुसार अपात्र होने से परिवार सूची में शामिल नहीं है।
5	आनन्दीबाई पति राधासिंह	94/40	5	कच्चा मकान	6.35	3.50	22.23	120.75	
					10.70	6.35	67.95		
					6.95	4.40	30.58		
6	राधेश्याम पिता नारायणसिंह	94/40	6	कच्चा मकान	8.20	8.15	66.83	66.83	
7	लालेनसिंह पिता नारायणसिंह	94/40	7	पक्का मकान गाडर	6.80	6.75	45.90	68.10	
				कच्चा मकान	5.55	4.00	22.20		
8	चम्पीबाई पति रामबगास	94/40	8	कच्चा मकान	7.05	5.70	40.19	40.19	
9	अर्जुनसिंह पिता मोतिलाल	94/40	9	कच्चा मकान	6.95	3.60	25.02	25.02	
10	कल्याणसिंह पिता हजारीलाल	94/40	10	कच्चा मकान	6.00	6.85	41.10	41.10	

11	सुरेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह	94/40	11	परका मकान गाडर	6.60	6.70	44.22	44.22	सरल कमांड 03 पर पनी के नाम मकान अंकित है उसी की परिवार सूची में शामिल होने से पुथक से परिवार सूची में अंकित नहीं किया गया है।
12	कनीराम पिता अमरसिंह	94/40	12	कच्चा मकान	11.00	6.50	71.50	71.50	
13	कमलसिंह पिता अमरसिंह	94/40	13	कच्चा मकान	11.20	4.20	47.04	66.54	
					7.50	2.60	19.50		
कुल योग									4111.57

परिवार सत्यापन

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	18 वर्ष से ऊपर	विधवा / तलाक प्राप्ता/अ	मूल परिवार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आवारी (महुआखेड़ा)

1	भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह	भगवतीबाई	स्वयं	55	पि.वर्ग			1	
2		युवराज	पुत्र	20	पि.वर्ग	1			
3		निकिता	पुत्री	18	पि.वर्ग	1			
4	सूरजसिंह पिता फतेसिंह	सूरजसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग			1	
5		सन्दिप	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
6		राकेश	पुत्र	22	पि.वर्ग			1	
7	कमलाबाई पति विश्रामसिंह	कमलाबाई	स्वयं	56	पि.वर्ग	1			
8		गोविन्दसिंह	पुत्र	26	पि.वर्ग			1	
8A		सोनू	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
9	विजयसिंह पिता फतेसिंह	विजयसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
10		फतेसिंह	पिता	81	पि.वर्ग			1	
11	जोधाराम पिता गजराजसिंह	जोधाराम	स्वयं	28	पि.वर्ग			1	
12	गजराजसिंह पिता गंगाराम	गजराजसिंह	स्वयं	62	पि.वर्ग			1	
13		सोनू	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
14		भूलीबाई	माता	91	पि.वर्ग		1		
15	भगवतसिंह पिता गंगाराम	भगवतसिंह	स्वयं	58	पि.वर्ग			1	

16	हरिओम पिता भगवतसिंह	हरिओम	स्वयं	41	पि.वर्ग		1	
17	नेमसिंह पिता भगवतसिंह	नेमसिंह	स्वयं	28	पि.वर्ग		1	
18		भगवतसिंह	पिता	58	पि.वर्ग		1	
19	हाकमसिंह पिता मोरसिंह	हाकमसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग		1	
20	सविताशाई पति हाकमसिंह	सविताशाई	पत्नी	43	पि.वर्ग			निजी मकान है, त्रिटिवक्ष प्रद्यानमंत्री आवास दर्ज हो गया था।
21		मोहरसिंह	पिता	70	पि.वर्ग		1	
21A		देवेन्द्र	पुत्र	18	पि.वर्ग	1		
21B		चेतराम	पुत्र	20	पि.वर्ग	1		
22	भारतसिंह पिता हंजारीलाल	भारतसिंह	स्वयं	56	पि.वर्ग		1	
23		इन्दर	पुत्र	29	पि.वर्ग	1		
24		आजाद	पुत्र	27	पि.वर्ग	1		
25	काशीराम पिता रामसिंह	काशीराम	स्वयं	40	पि.वर्ग		1	
26		केशरबाई	माता	80	पि.वर्ग			फोत हो चुकी है। धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
27	शंकरसिंह पिता जगन्नाथ	शंकरसिंह	स्वयं	54	पि.वर्ग		1	
28		राजू	पुत्र	27	पि.वर्ग		1	
29	रत्नसिंह पिता मोरसिंह	रत्नसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग		1	
29A		राकेश	पुत्र	19	पि.वर्ग	1		
30	सुन्दर पिता भगवतसिंह	सुन्दर	स्वयं	32	पि.वर्ग		1	
31	हेमसिंह पिता जगन्नाथ	हेमसिंह	स्वयं	53	पि.वर्ग		1	
32		सुनिल	पुत्र	26	पि.वर्ग	1		
33	मेहरवानसिंह पिता हंजारीलाल	मेहरवानसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग	1		
34	बापूलाल पिता जगन्नाथ	बापूलाल	स्वयं	45	पि.वर्ग		1	
35	भूरसिंह पिता कालूराम	भूरसिंह	स्वयं	45	पि.वर्ग		1	
36		फूलियाबाई	माता	89	पि.वर्ग	1		
36A		राहुल	पुत्र	19	पि.वर्ग	1		
36B		बहादुर	पुत्र	19	पि.वर्ग	1		
37	हरिसिंह पिता कालूराम	हरिसिंह	स्वयं	50	पि.वर्ग		1	

38	पर्वतसिंह पिता कालूराम	पर्वतसिंह	स्वयं	66	पि.वर्ग		1	
39		गोविन्द	पुत्र	29	पि.वर्ग	1		
40	विश्रामसिंह पिता पर्वतसिंह	विश्रामसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग		1	
41	जगदीश पिता कंचनसिंह	जगदीश	स्वयं	23	पि.वर्ग	1		
42	फूलसिंह पिता मुंशीलाल	फूलसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग		1	
43	कनीराम पिता जगन्नाथ	कनीराम	स्वयं	67	पि.वर्ग		1	एक मकान आबादी में सरल क्रमांक 28 पर एवं एक मकान निजी भूमि के प्रपत्र घ के सरल क्रमांक 24 पर स्थित है जिसका मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।
44		विनय सिंह	पुत्र	35	पि.वर्ग		1	
45		नेमसिंह	पुत्र	40	पि.वर्ग		1	
46	कृपालसिंह पिता सरजनसिंह	कृपालसिंह	स्वयं	42	पि.वर्ग		1	
47	रंगलाल पिता मुंशीलाल	रंगलाल	स्वयं	57	पि.वर्ग		1	
47 A		रामरवलप	पुत्र	19	पि.वर्ग	1		
48	शिवनारायण पिता जगन्नाथ	शिवनारायण	स्वयं	38	पि.वर्ग		1	
49		जगन्नाथ	पिता	73	पि.वर्ग		1	
49 A		विनोद	पुत्र	20	पि.वर्ग	1		
50	रामबाबू पिता जगन्नाथ	रामबाबू	स्वयं	43	पि.वर्ग		1	
51		तनुजा	पुत्री	18	पि.वर्ग	1		
51A		सुनील	पुत्र	20	पि.वर्ग	1		
52	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	दीपसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग		1	
53	जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह	जगदीशसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग		1	
54		गनपतसिंह	पिता	68	पि.वर्ग		1	
55	लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	38	पि.वर्ग		1	
56		बलमतसिंह	पिता	75	पि.वर्ग		1	
57	पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ	पर्वतसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग		1	
58		मोहन	पुत्र	25	पि.वर्ग		1	
59		श्रीओम	पुत्र	21	पि.वर्ग	1		
60	आजादसिंह पिता हीरालाल	आजादसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग		1	

60A		दीपक	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
61	सम्पतबाई पिता हीरालाल	सम्पतबाई	स्वयं	73	पि.वर्ग		1		
62	गजराजसिंह पिता बलराम	गजराजसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग				ग्राम का निवासी नहीं है। धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
63	सुगनबाई बेवा दयालसिंह	सुगनबाई	स्वयं	63	पि.वर्ग		1		
64	हरिसिंह पिता चैनसिंह	हरिसिंह	स्वयं	62	पि.वर्ग			1	
65	काशीराम पिता मांगीलाल	काशीराम	स्वयं	61	पि.वर्ग		1		
66		सुमेरसिंह	पुत्र	44	पि.वर्ग			1	
67	जसवंत पिता मांगीलाल	जसवंत	स्वयं	70	पि.वर्ग			1	
68	भजनसिंह पिता मांगीलाल	भजनसिंह	स्वयं	65	पि.वर्ग			1	
69		राजेन्द्र	पुत्र	27	पि.वर्ग			1	
70		हाकमसिंह	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
71	बनेसिंह पिता मांगीलाल	बनेसिंह	स्वयं	55	पि.वर्ग			1	
72		जगदीश	पुत्र	28	पि.वर्ग			1	
73	हरझानसिंह पिता जसवंतसिंह	हरझानसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग			1	
74	मोहरसिंह पिता कनीराम	मोहरसिंह	स्वयं	53	पि.वर्ग			1	
75		ब्रजमोहन	पुत्र	22	पि.वर्ग	1			
75A		प्रेमबाई	बहन	60	पि.वर्ग		1		
75B		महेश	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
76	सावित्रीबाई पति सूरजसिंह	सावित्रीबाई	स्वयं		पि.वर्ग		1		
77	सुन्दरसिंह पिता काशीराम	सुन्दरसिंह	स्वयं	46	पि.वर्ग			1	
78	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग			1	
79	विकमसिंह पिता चैनसिंह	विकमसिंह	स्वयं	31	पि.वर्ग			1	
79A		गब्बर	पुत्र	20	पि.वर्ग	1			
79B		चेतराम	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			

आवादी (मंडुआखेड़ा पुरा)						
80	सुमित्राबाई पति कल्याणसिंह	सुमित्राबाई	स्वयं	49	पि.वर्ग	स. कं ८१ पर पति कल्याणसिंह पिता हजारीलाल का नाम दर्ज है, चूंकि पति पत्नी को एक इकाई माना गया। धारा-९३ के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
81	गुलाबबाई बेवा हजारीलाल	गुलाबबाई	स्वयं	४६	पि.वर्ग	१
82	संदीपबाई पति सुरेन्द्रसिंह	संदीपबाई	स्वयं	२९	पि.वर्ग	१
83	आनन्दीबाई पति रायसिंह	आनन्दीबाई	स्वयं	५२	पि.वर्ग	१
84	राधेश्याम पिता नारायणसिंह	राधेश्याम	स्वयं	३७	पि.वर्ग	१
85	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह	लाखनसिंह	स्वयं	४१	पि.वर्ग	१
85 A		राहुल	पुत्र	१९	पि.वर्ग	१
86	चम्पीबाई- बेवा रामबगस	चम्पीबाई	स्वयं	६८	पि.वर्ग	१
87		राकेश	पुत्र	३१	पि.वर्ग	१
88	अर्जुनसिंह पिता मोतीलाल	अर्जुनसिंह	स्वयं	६१	पि.वर्ग	१
89		मोरसिंह	पुत्र	२७	पि.वर्ग	१
90		संजू	पुत्र	२२	पि.वर्ग	१
91	कल्याणसिंह पिता हजारीलाल	कल्याणसिंह	स्वयं	५१	पि.वर्ग	१
91 A		सुन्दर	पुत्र	२०	पि.वर्ग	१
92	कनीराम पिता अमरसिंह	कनीराम	स्वयं	७८	पि.वर्ग	१
92 A		बबलू	पुत्र	२०	पि.वर्ग	१
93	कमलसिंह पिता अमरसिंह	कमलसिंह	स्वयं	६२	पि.वर्ग	१
निजी / शासकीय (मंडुआखेड़ा)						
94	भरतराम पिता बलवंतसिंह	भरतराम	स्वयं	३५	पि.वर्ग	१
95	कंचनसिंह पिता मुंशीलाल	कंचनसिंह	स्वयं	५०	पि.वर्ग	१
96		धीरपसिंह	पुत्र	२७	पि.वर्ग	१
97	मांगीलाल पिता घासीराम	मांगीलाल	स्वयं	६१	पि.वर्ग	१ शासकीय भूमि में ।
98	घीसीबाई पत्नी घासीराम	घीसीबाई	स्वयं	६९	पि.वर्ग	१ शासकीय भूमि में ।
99	बाबूलाल पिता घासीराम	बाबूलाल	स्वयं	५३	पि.वर्ग	१ शासकीय भूमि में ।

99 A		बहादुर	पुत्र	21	पि.वर्ग	1			
100	अयोध्या बाई पत्नी बापूलाल	अयोध्या बाई	स्वयं	55	पि.वर्ग		1		शासकीय भूमि में ।
101	ब्रजराज पिता बापूलाल	ब्रजराज	स्वयं	26	पि.वर्ग			1	शासकीय भूमि में ।
101A		रामलखन	भाई	22	पि.वर्ग			1	
102	मांगीलाल पिता गोरेलाल	मांगीलाल	स्वयं	65	पि.वर्ग			1	शासकीय भूमि में ।
103		सुरेन्द्रसिंह	पुत्र	25	पि.वर्ग			1	
104		जितेंद्र	पुत्र	24	पि.वर्ग	1			
105	तेजसिंह पिता जसवंतसिंह	तेजसिंह	स्वयं	34	पि.वर्ग			1	
106	राजू हरज्ञान पप्पू पिता काशीराम	राजू	स्वयं	26	पि.वर्ग	1			शासकीय भूमि में ।
107		पप्पू	स्वयं	21	पि.वर्ग	1			
107 A		हरज्ञान	स्वयं	23	पि.वर्ग	1			
108	हेमसिंह पिता जालमसिंह	हेमसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
109		बहादुर	पुत्र	22	पि.वर्ग			1	
110	बद्रीलाल पिता मानसिंह	बद्रीलाल	स्वयं	58	पि.वर्ग			1	
111		लक्ष्मीनारायण	पुत्र	21	पि.वर्ग			1	
111A		जगमोहन	पुत्र	20	पि.वर्ग	1			
112	रामकलीबाई बेवा गोपालसिंह	रामकलीबाई	स्वयं	76	अजा		1		
113	राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	36	अजा			1	
114	ग्यारसीराम पिता गोपालसिंह	ग्यारसीराम	स्वयं	53	अजा			1	
115		राधेश्याम	पुत्र	22	अजा			1	
115 A		मोहनबाबू	पुत्र	19	अजा	1			
116	बटन पिता गोपालसिंह	बटनलाल	स्वयं	50	अजा			1	
117	माखनसिंह पिता रंगलाल	माखनसिंह	स्वयं	26	पि.वर्ग	1			
118	लाखनसिंह पिता जालमसिंह	लाखनसिंह	स्वयं	49	पि.वर्ग			1	
118 A		राहुल	पुत्र	19	पि.वर्ग	1			
119	राजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	28	पि.वर्ग			1	
120	दिलीप पिता हरिनारायण	दिलीप	स्वयं	25	अजा			1	
121	सरदारसिंह पिता दयाराम	सरदारसिंह	स्वयं	42	अजा			1	

122		भूलीबाई	माता	73	अजा			1	दयाराम के फोत होने से पली का नाम दर्ज किया गया ।
123	आधवसिंह पिता दयाराम.	माधवसिंह	स्वयं	28	अजा	1			
124	गुलाबबाई बेवा चन्नूलाल	गुलाबबाई	स्वयं	86	पि.वर्ग		1		
124A		पप्पू	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
124B		धन्नालाल	पुत्र	34	पि.वर्ग	1			
125	भूरेलाल पिता नन्हूलाल	भूरेलाल	स्वय	55	अजा			1	
125 A		सोनू	पुत्र	20	अजा	1			
126	हरिनारायण पिता नन्हूलाल	हरिनारायण	स्वयं	60	अजा			1	
126 A		विनोद	पुत्र	19	अजा	1			
127	देवसिंह पिता नारायणसिंह	देवसिंह	स्वयं	35	पि.वर्ग			1	
128	गोपाल पिता नारायणसिंह	गोपाल	स्वयं	31	पि.वर्ग			1	
129	नारायणसिंह पिता गंगाराम	नारायणसिंह	स्वयं	68	पि.वर्ग			1	
130	लखपतसिंह पिता सजनसिंह	लखपतसिंह	स्वय	25	पि.वर्ग	1			
131	झानसिंह पिता अमरसिंह	झानसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	
131A		देवसिंह	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
132	गुलाबबाई बेवा जालमसिंह	गुलाबबाई	स्वयं	58	पि.वर्ग		1		
133	सीताराम पिता जालमसिंह	सीताराम	स्वयं	35	पि.वर्ग			1	
134	सोनू पिता हेमसिंह	सोनू	स्वयं	24	पि.वर्ग			1	
135	चन्द्रसिंह पिता जालमसिंह	चन्द्रसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
136		रामस्वरूप	पुत्र	22	पि.वर्ग	1			
137	भगवानसिंह पिता प्रतापसिंह	भगवानसिंह	स्वयं	32	पि.वर्ग			1	
138	प्रतापसिंह पिता जालमसिंह	प्रतापसिंह	स्वयं	53	पि.वर्ग			1	
139		सुनील	पुत्र	25	पि.वर्ग	1			
निजी (मंहुआखेड़ा पुरा)									
140	फूलसिंह पिता फतेहसिंह	फूलसिंह	स्वयं	52	पि.वर्ग			1	
141	भारतसिंह पिता मोतीलाल	भारतसिंह	स्वयं	70	पि.वर्ग			1	पिता का नाम सभी दस्तावेजों में मोतीलाल दर्ज है।
142		जगदीश	पुत्र	28	पि.वर्ग	1			
143		शाजन	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			

144		लाखन सिंह	पुत्र	37	पि.वर्ग	1			
145	मांगीलाल पिता अमरसिंह	मांगीलाल	स्वयं	51	पि.वर्ग		1		
146		प्रेमसिंह	पुत्र	32	पि.वर्ग		1		
147		सोनू	पुत्र	29	पि.वर्ग	1			
148	इन्दरसिंह पिता चैनसिंह	इन्दरसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग		1		
149		प्रेम बाई	माता	67	पि.वर्ग		1		
150		अचल सिंह	भाई	29	पि.वर्ग	1			
150 A		दीपा	पुत्री	18	पि.वर्ग	1			
150 B		ब्रजमोहन	पुत्र	21	पि.वर्ग	1			
151	हिमतसिंह पिता चैनसिंह	हिमतसिंह	स्वयं	34	पि.वर्ग		1		
152	जमनीबाई बेवा जगन्नाथ	जमनीबाई	स्वयं	74	अजा	1			जमनीबाई बेवा जगन्नाथ को जानकी बाई नाम से भी जाना जाता है।
153		रामबाबू	पुत्र	35	अजा		1		
154	अमरसिंह पिता भंवरजी	अमरसिंह	स्वयं	82	पि.वर्ग		1		
155	भूलीबाई पति सरजनसिंह	भूलीबाई	स्वयं	40	पि.वर्ग		1		
155 A		हरीओम	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
155 B		फूलबती	पुत्री	19	पि.वर्ग	1			
156	अर्जुनसिंह पिता कालूराम	अर्जुनसिंह	स्वयं	41	पि.वर्ग		1		
157		भागवती बाई	माता	91	पि.वर्ग	1			
158	सरजूबाई बेवा बापूलाल	सरजूबाई	स्वयं	80	पि.वर्ग	1			
159	सन्तराबाई पिता बापूलाल	सन्तराबाई	स्वयं		पि.वर्ग	1			प्रधानमंत्री आवास है।
160	बनेसिंह पिता बापूलाल	बनेसिंह	स्वयं	54	पि.वर्ग		1		
161		रामवतार	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
161A		कविता	पुत्री	20	पि.वर्ग	1			
161B		नीतू	पुत्री	19	पि.वर्ग	1			
162	सुगनबाई बेवा जालमसिंह	सुगनबाई	स्वयं	43	पि.वर्ग	1			
163	सुरेन्द्रसिंह पिता गोरेलाल	सुरेन्द्रसिंह	स्वयं	27	पि.वर्ग		1		
164	बादामसिंह पिता जालमसिंह	बादामसिंह	स्वयं	24	पि.वर्ग		1		

165	माखनसिंह पिता जालमसिंह	माखनसिंह	स्वयं	29	पि.वर्ग			1	
166	पेजामसिंह पिता रामसिंह	पेजामसिंह	स्वयं	31	पि.वर्ग			1	
167	राकेश पिता रामसिंह	राकेश	स्वयं	28	पि.वर्ग	1			
168	कृपालसिंह पिता रामसिंह	कृपालसिंह	स्वयं	30	पि.वर्ग			1	
169	बापूलाल पिता गवाजी	बाबूलाल	स्वयं	75	पि.वर्ग			1	1 मकान पत्ती कैशर बाई (फौत) के नाम पर दर्ज है। परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है।
170	सरजनसिंह पिता गवाजी	सरजनसिंह	स्वयं	48	पि.वर्ग			1	
171	अन्तरसिंह पिता गंगाराम	अन्तरसिंह	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	
171A		रवि	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
172	रायसिंह पिता गवाजी	रायसिंह	स्वयं	41	पि.वर्ग			1	
172 A		रामनिवास	पुत्र	19	पि.वर्ग	1			
173	इन्द्रसिंह पिता बलराम	इन्द्रसिंह	स्वयं	40	पि.वर्ग			1	
174	बलराम पिता गवाजी	बलराम	स्वयं	73	पि.वर्ग			1	
175	रसलबाई बेवा आजादसिंह	रसलबाई	स्वयं	33	पि.वर्ग		1		
176	गोरेलाल पिता गवाजी	गोरेलाल	स्वयं	56	पि.वर्ग			1	
177		गोविन्द	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
178	बद्रीलाल पिता बापूलाल	बद्रीलाल	स्वयं	43	पि.वर्ग			1	शासकीय भूमि में।
179		दुर्मेश	पुत्र	23	पि.वर्ग	1			
180		बापूलाल	पिता	89	पि.वर्ग		1		
181	भूरीबाई पति दयालसिंह	भूरीबाई	स्वयं	49	पि.वर्ग			1	
181 A		इकलेश	पुत्र	18	पि.वर्ग	1			
182	आजादसिंह पिता कमलसिंह	आजादसिंह	स्वयं	42	पि.वर्ग			1	
183	रामसियाबाई पति राजेश	रामसियाबाई	स्वयं	29	पि.वर्ग			1	
184	रामकैलाश पिता सरजनसिंह	रामकैलाश	स्वयं	22	पि.वर्ग			1	
185		सरजनसिंह	पिता	54	पि.वर्ग			1	
186	भारत पिता मांगीलाल	भारत	स्वयं	52	पि.वर्ग			1	

187	संतोषबाई पति राधेश्याम	सन्तोषबाई	स्वयं	35	पि.वर्ग			स.कं 84 पर पति का नाम दर्ज है चूंकि पति पत्नी को एक इकाई माना गया है। संतोषबाई का नाम सूची से धारा-83 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
188	गोविन्दसिंह पिता नारायणसिंह	गोविन्दसिंह	स्वयं	30	पि.वर्ग		1	
189	नारायणसिंह पिता भोतीलाल	नारायणसिंह	स्वयं	71	पि.वर्ग		1	
190	प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	38	पि.वर्ग		1	
191	संगीताबाई पति रामबाबू	संगीताबाई	स्वयं	37	अजा			स.कं 153 पर पति का नाम दर्ज है चूंकि पति पत्नी को एक इकाई माना गया है। संगीताबाई का नाम सूची से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
192	अनिलसिंह पिता हेमसिंह	अनिलसिंह	स्वयं	28	पि.वर्ग		1	
193	रामनारायण पिंता शंकरसिंह	रामनारायण	स्वयं	35	पि.वर्ग		1	
194	हेमराज पिता बद्रीलाल	हेमराज	स्वयं	23	पि.वर्ग		1	
195	सरजनसिंह पिता जगनाथ	सरजनसिंह	स्वयं	58	पि.वर्ग		1	
196		अचलसिंह	पुत्र	19	पि.वर्ग	1		
197		लखपत सिंह	पुत्र	26	पि.वर्ग			सं.कं 130 पर नाम दर्ज है, दोहरा प्रकाशन होने से एक स्थान से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
198	भगवानसिंह पिता कमलसिंह	भगवानसिंह	स्वयं	33	पि.वर्ग		1	
199	सन्तराबाई पति हरिप्रसाद	सन्तराबाई	स्वयं	31	पि.वर्ग		1	
200	श्यामसिंह पिता कमलसिंह	श्यामसिंह	स्वयं	37	पि.वर्ग		1	पत्नी संगीतबाई के नाम पृथक से नकान है किन्तु पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पत्नी का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है।
201	रामदयाल पिता कमलसिंह	रामदयाल	स्वयं	40	पि.वर्ग		1	
202	सीमाबाई पति प्रकाश	सीमाबाई	स्वयं	32	पि.वर्ग		1	पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पति का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है।
203	अनिल पिता प्रितमसिंह	अनिल	स्वयं	25	पि.वर्ग		1	
204		प्रीतम सिंह	पिता	42	पि.वर्ग		1	

204 A		नरेन्द्र	भाई		पि.वर्ग	1		
204 B		नितेश	भाई	18	पि.वर्ग	1		
205	राकेश पिता शमबगस	राकेश	स्वयं	31	पि.वर्ग			सं कं 86,87 पर दोनों का नाम दर्ज है, दोहरा प्रकाशन होने से एक स्थान से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
206		चम्पीबाई	माता	68	पि.वर्ग			
207	विकमसिंह पिता शमबगस	विकमसिंह	स्वयं	31	पि.वर्ग		1	
208	नवरंग बाई बेवा श्याम सिंह	नवरंग बाई	स्वयं	26	पि.वर्ग		1	
209	भगवान सिंह पिता हरी सिंह	भगवान सिंह	स्वयं	35	पि.वर्ग		1	
210	जानकी बाई बेवा जगन्नाथ	जानकी बाई	स्वयं	75	पि.वर्ग			सं कं 152 पर नाम दर्ज है, दोहरा प्रकाशन होने से एक स्थान से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
211	अभयसिंह पिता मांगीलाल	अभयसिंह	पिता	55	पि.वर्ग		1	
पीएम आवास मंहुआखेडा								
212	दिलीप पिता हरिनारायण (डबल)	दिलीप	स्वयं	25	अजा			
213	रतनसिंह पिता दशाराम	रतनसिंह	स्वयं	33	अजा		1	
पीएम आवास मंहुआखेडा पुरा								
214	दयालसिंह पिता बापूलाल (डबल)	दयालसिंह	स्वयं	52	पि.वर्ग			
	योग —					69	25	147
	कुल परिवार :-					241		

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित छूट परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु, ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा नं. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हेक्टेयर कार्यालय क्लेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4954/राजस्व 01 एवं राजस्व-2/एफ क्र.13/21/2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से चंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मांस का संदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथारिथति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा।
7. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपये "पुर्नव्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।
10. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा।
12. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुई अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त बासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
13. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।
14. वांस्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।
15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।
16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।
21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
25. बच्चों के लिये कीड़ा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आंयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबों के पुर्णव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गंवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 में रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्णवासन और पुर्णव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा गंवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।
32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18' वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 1— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार, श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2— अधिसूचना में प्रकाशित मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रक्बे में कमी-वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है यां ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तो निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-82 / 2021-22 पार्वती परियोजना के तहत प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23 जून 2023 को कराया गया था, उक्त अधिसूचना उपरांत भवनों का स्थल सत्यापन व प्रभावित परिवारों का भौतिक सत्यापन किये जाने पर प्रभावित परिवारों की संख्या में विसंगति तथा कुछ नवीन पात्र परिवारों का प्रभावित होना पाया गया है, अतः दिनांक 23 जून 2023 को प्रकाशित धारा-19 की अधिसूचना निम्नानुसार संशोधित/अद्यतित की जाती है। इसी अद्यतित अधिसूचना के अनुसार भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन की अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी। :-

:- अनुसूची :-1

भूमि/मकानों/परिवारों का वर्णन

- (अ) जिला - सीहोर
- (ख) लहसील - श्यामपुर
- (ग) ग्राम - रायतखेड़ा

○ (घ) क्षेत्रफल - 3.975 हेक्टेयर, 7580.61 वर्ग मीटर मकान, 192 परिवार

:- अनुसूची :-2

स.क्र.	भूमि रहायी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति	सर्व नंबर	भूमि		स्थिति परिसम्पत्ति	रिमार्क
			कुल एकबा (हेक्ट.)	प्रभावित एकबा (हेक्ट.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	रामलाल पुत्र जयसिंह जाति कुड़गी पता आजारोही सीहोर मध्यप्रदेश	166/1	1.465	0.122		
2	भारतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 शिवपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता रायतखेड़ा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	166/2	1.619	0.102		
3	कृष्णाकुंवर पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्यामी	79/7	0.202	0.202		
4	महेन्द्र सिंह भंवरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतगुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्यामी हिस्सा सागान भाग	166/3	0.558	0.202		
5	भंवरलाल पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 कमलसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्यामी	9/1, 10, 11	0.137	0.137		
6	कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 कमलसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्यामी	9/2, 10, 11	0.032	0.032		
7	जगन्नाथ पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, रामप्रसाद पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, नारानी पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लक्ष्मन पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लालजी पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्यामी	13	0.024	0.024		
		14	0.065	0.065		
8	हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्यामी	16	0.020	0.020		
		17	0.036	0.036		
9	खुशीलाल पुत्र गणपत जाति घमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्यामी	18	0.049	0.049		
10	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता रायतखेड़ा श्यामपुर मध्यप्रदेश	19	0.053	0.053		

11	गंगाराम पिता चुनीलाल साधित्रीबाई बेवा चुनीलाल, कमलबाई पुत्री चुनीलाल जाति व्यापार रता रावतखेडा सीहोर मध्यप्रदेश	20/1	0.032	0.032		
12	देवीराम पुत्र धनना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	20/2	0.036	0.036		
13	भोला पुत्र धनना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	20/3	0.036	0.036		
14	ब्रजनाथसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश	21/1	0.971	0.060		
15	सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश	21/2	0.097	0.060		
16	महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2, प्रवीणसिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	21/3	0.101	0.060		
17	कृष्णकुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	21/4	0.101	0.060		
18	पुनिया बाई बेवा हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, राजेश पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, विष्णु पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, राम नाथा, पुत्र हरकिशन सर. माता जाति सेरिया हिस्सा 1/5, कृष्ण पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	22	0.109	0.060		
19	ननू गोकल पिता बंशी गोरिया, पिता देव्या पुनिया बाई बेवा हरकिशन, कण्ठबाई नाथा, राजेश राम नाथा पिता हरकिशन सर. माता. स्वयं जाति सेरिया पता सा.देह भूमिस्वामी	23	0.117	0.117		
20	हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/1	0.150	0.075		
21	मानकुंवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपूत रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	24/2	0.073	0.036		
22	बलराम सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/3	0.024	0.012		
23	कृपाल सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/4	0.024	0.012		
24	राजेन्द्र सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	24/5	0.029	0.012		
25	जगनाथ सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	207/56/2	0.235	0.235		
26	धनराज सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	207/56/3	0.416	0.416		
27	जयपाल सिंह पुत्र ब्रजनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	112/2	0.255	0.255		
28	कृष्णभाई भत्ती रामलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	162/3	0.571	0.080		
29	भवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	152/5	0.202	0.202		
30	महेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2, वीरेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता निवासी आछारोही श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	147/1	1.113	0.166		
31	महेन्द्र सिंह भवरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्वामी हिस्सा समान भाग सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	147/4	0.097	0.015		
32	बद्रीप्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2, बाघुलाल पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	4/2	1.214	0.408		
33	देवीसिंह पुत्र शिष्मूसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	25/2	0.230	0.230		
34	शिवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	26	0.045	0.045		

35	विक्रम सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	28/2	0.089	0.030		
36	तंबरलाल पुत्र भवंतरलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	44/1/1	0.057	0.033		
37	गोपाल .पत्नी अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	193/12	0.049	0.049		
		कुल रेकबा	11.793	3.976		

आबांदी मे स्थित मकान

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम	12	1	कच्चा मकान	7.63 2.50	3.80 1.30	28.99 3.25	32.24	
2	कोमलबाई पति परसुराम	12	2	कच्चा मकान	8.80 7.50 8.80 3.60	3.10 3.80 3.20 3.00	27.28 28.88 28.16 10.80	95.12	
3	गंगाराम पिता चुन्नीलाल	12	3	पवका मकान	8.30	4.00	33.20	33.20	प्राप्तनमंत्री आयास है।
4	जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ	12	4	कच्चा मकान	10.70 16.95 टीन शेड	3.60 3.70 3.40	38.52 62.72 52.02	177.26	
5	शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	12	5	पवका मकान (गाड़र पट्टी)	7.50 4.00 टीन शेड	3.90 4.00 4.00	29.25 15.20 35.20	79.65	
6	प्रवीलसिंह पिता प्रकाश	12	6	पवका मकान (गाड़र पट्टी)	9.50 4.00	3.90 3.80	37.05 15.20	52.25	
7	प्रणवपालसिंह जयपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	12	7	कच्चा मकान	9.65 6.90 टीन शेड	4.10 3.90 3.10	39.57 26.91 12.09	105.10	
8	ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह	12	8	कच्चा मकान	6.80	3.85	26.18	26.18	
9	लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह	12	9	पवका मकान	10.60 4.00	7.35 3.93	77.91 15.72	137.20	
10	ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह	12	10	कच्चा मकान	7.80 14.90 टीन शेड	3.20 6.60 8.00	24.96 98.34 112.00	235.30	
11	राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	12	11	पवका मकान	4.00 6.90 10.50	3.40 4.70 3.50	13.60 32.43 36.75	280.78	
12	गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह	12	12	कच्चा मकान	17.00 3.70	3.50 7.40	59.50 27.38		
13	भानीप्रकाश पिता विजयासिंह	12	13	पवका मकान	7.40 5.30 8.60	5.30 7.40 3.80	39.22 39.22 32.68	88.45	
14	गोपाल पिता भीनीप्रकाश	12	14	कच्चा मकान	3.80 टीन शेड	3.70 5.00	14.06 18.00	54.84	
15	कृष्णपाल पिता भीनीप्रकाश	12	15	कच्चा मकान	8.10 टीन शेड	3.70 3.60	29.97 29.16	59.13	
16	बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	12	16	पवका मकान	6.40 कच्चा मकान	6.15 5.70	39.36 36.20	75.56	

17	गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह	12	17	कच्चा मकान	9.73 12.43 पक्का मकान प्रौद्योगिकी फलोर	6.95 3.33 5.00 3.30 5.70 6.00 5.90	67.62 41.39 64.00 14.85 29.36 30.96 26.55	109.02	
18	महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह	12	18	पक्का मकान फर्स्ट फलोर	6.00 5.90	5.15 4.50	30.96 26.55	165.72	
19	देवीसिंह पिता शाम्भूसिंह	12	19	पक्का मकान	10.30	8.70	89.61	89.61	
20	जितेन्द्रसिंह पिता भवरलाल	12	20	पक्का मकान (गाडर पट्टी) कच्चा मकान	6.23 3.60 3.40	4.50 3.50 3.40	28.04 12.60 11.56	52.20	
21	तंवरलाल पिता भवरलाल	12	21	पक्का मकान (गाडर पट्टी) कच्चा मकान	6.23 5.50	3.93 4.10	24.48 22.55	47.03	
22	पिंकूसिंह पिता भवरलाल	12	22	कच्चा मकान टीन शेड	11.00 5.20 11.00	3.60 5.00 2.00	39.60 26.00 22.00	87.60	
23	जालमसिंह पिता सैतानसिंह	12	23	कच्चा मकान	8.30	7.00	58.10	58.10	
24	भवरलाल पिता जालमसिंह	12	24	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	8.50 8.50	7.00 7.00	59.50 59.50	119.00	प्रधानमंत्री आवास है।
25	भवरलाल, किशोरसिंह पिता रघुनन्दन	12	25	पक्का मकान कच्चा मकान	9.00 4.00	8.20 2.00	73.80 8.00	73.80	प्रधानमंत्री आवास है।
26	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	12	26	पक्का मकान कच्चा मकान टीन शेड	7.75 3.00 9.50	4.65 3.00 4.70	36.04 9.00 44.65	36.04	53.65
27	स्वरूपकुवर पाति श्यामसिंह	12	27 (1)	कच्चा मकान टीन शेड	5.25 6.40 2.50 2.30	5.40 3.80 3.80 3.50	28.35 24.32 9.50 8.05	70.22	
28	चतुरभान पिता श्यामसिंह	12	27 (2)	कच्चा मकान टीन शेड	5.25 6.40 2.50 2.30	5.40 3.80 3.80 3.50	28.35 24.32 9.50 8.05	70.22	
29	विष्णुकुवर बेवा शिवपाल	12	28	पक्का मकान	7.50	3.40	25.50	25.50	
30	राजपाल पिता मार्गीलाल	12	29	पक्का मकान	7.50	3.40	25.50	25.50	
31	जीवनसिंह पिता मार्गीलाल	12	30	कच्चा मकान	8.80 9.40	3.60 3.50	31.68 32.90	31.68	
32	राजेन्द्रसिंह पिता चंद्रसिंह	12	31	टीन शेड	3.70 6.70	3.50 3.00	12.95 20.10	65.95	
33	मेहरबानसिंह पिता चंद्रसिंह	12	32	टीन शेड	6.70	3.90	26.13	26.13	
34	सतीष युवर पाति देवीसिंह	12	33	टीन शेड	6.40	3.80	24.32	24.32	
35	जगदीश पिता चंद्रसिंह	12	34	कच्चा मकान	6.30	3.90	24.57	24.57	
36	हर्षकुवर पाति चंद्रसिंह (मृतक)	12	35	पक्का मकान (गाडर पट्टी)	6.00	4.00	24.00	24.00	भवनस्थानी के पास है जाने से परियार सूखी में शामिल नहीं किया है तथा नामांतरण पश्चात ऐध वारिसानों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा।
37	हिंदुसिंह पिता चंद्रसिंह	12	36	पक्का मकान कच्चा मकान	9.00 3.70 4.00 4.00	4.50 3.20 3.40 3.50	40.50 11.84 13.60 14.00	79.94	
38	सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह	12	37	कच्चा मकान टीन शेड	6.70 7.40 3.60	3.70 2.70 2.30	24.79 19.98 8.28	53.05	

39	श्यामकुपर पति सरदारसिंह	12	38	कच्चा मकान	7.70	3.00	23.10	100.63	पाति-पल्टो भों एक इकाई माला गया है इस लिये इयामनदेव का नाम परिवार सुधी में पृथक से नहीं है।
					4.70	3.10	14.57		
					2.80	2.30	6.44		
					टीन शेड	10.40	3.60	37.44	
					5.30	3.60	19.08		
40	दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी	12	39	पक्का मकान	8.40	2.90	24.36	24.36	प्रधानमंत्री आवास है।
					6.70	3.20	21.44		
41	नरेन्द्र पिता दिनेश	12	40	टीन शेड	8.30	7.80	64.74	85.80	
					5.20	2.70	14.04		
					2.70	2.60	7.02		
					पक्का मकान	4.50	4.00	18.00	
42	मांगीलाल पिता अनारसिंह	12	41	कच्चा मकान	6.20	3.70	22.94	86.70	
					3.20	2.70	8.64		
					3.20	3.00	9.60		
					टीन शेड	6.40	4.30	27.52	
				पक्का मकान	3.50	3.00	10.50		
43	मोहनसिंह पिता रामदयाल	12	42	कच्चा मकान	4.89	3.30	16.14	66.20	
					9.20	4.30	39.56		
				पक्का मकान	9.90	4.60	45.54		
44	मनोहरसिंह पिता रामनाथ सिंह	12	43	कच्चा मकान	9.00	3.50	31.50	100.56	
					4.30	2.10	9.03		
					6.90	2.10	14.49		
45	बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश	12	44	कच्चा मकान	5.50	3.60	19.80	19.80	प्रधानमंत्री आवास है।
46	चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह	12	45	पक्का मकान	10.10	6.80	68.68	68.68	
47	नरायणसिंह पिता रामनाथ	12	46	कच्चा मकान	6.70	6.20	41.54	41.54	
48	तखंर कवंर पति हुकमसिंह	12	47	पक्का मकान	11.00	5.90	64.90	113.36	
					7.30	3.60	26.28		
					4.10	3.00	12.30		
				टीन शेड	3.80	2.60	9.88		
49	महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह	12	48	कच्चा मकान	11.10	3.70	41.07	101.31	
					7.30	3.00	21.90		
					8.10	3.00	24.30		
					5.20	2.70	14.04		
				पक्का मकान	9.45	3.40	32.13		
50	अंतरसिंह पिता साजनसिंह	12	49	कच्चा मकान	5.70	3.10	17.67	49.8	
51	जुगनकवंर पति साजनसिंह	12	50	कच्चा मकान	7.70	3.40	26.18	51.59	
					3.30	2.40	7.92		
				टीन शेड	5.30	3.30	17.49		
52	बलराम पिता विष्णुनाथ	12	51	कच्चा मकान	7.70	3.50	26.95	51.98	
					7.70	3.25	25.03		
53	विष्णुनाथसिंह पिता गुलाब सिंह	12	52	कच्चा मकान	4.50	2.60	11.70	56.60	
					2.50	3.60	9.00		
					4.50	3.50	15.75		
				टीन शेड	6.50	3.10	20.15		
54	राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ	12	53	कच्चा मकान	4.50	2.60	11.70	56.60	
					2.50	3.60	9.00		
					4.50	3.50	15.75		
				टीन शेड	6.50	3.10	20.15		
55	कपालसिंह पिता विष्णुनाथ	12	54	पक्का मकान	10.40	4.60	47.84	93.05	
				कच्चा मकान	6.85	6.60	45.21		

56	आंगीलाल पिता संकरसिंह	12	55	पवका मकान (पथम तल)	14.10	5.00	70.50	228.00	
				पवका मकान गाडर पट्टी	12.40	6.00	74.40		
				कच्चा मकान	10.60	3.00	31.80		
					5.00	3.00	15.00		
				कच्चा मकान (द्वितीय तल)	7.00	4.00	28.00		
				ईट की दीवार	19.30	0.225	4.34		
					17.60	0.225	3.96		
57	भंवरलाल पिता मोतिसिंह	12	56	पवका मकान	8.95	4.13	36.96	83.24	
				कच्चा मकान	8.90	3.00	26.70		
					4.50	4.35	19.58		
58	राजेन्द्र विक्रम पिता मोतिसिंह	12	57	पवका मकान ग्राउन्ड फ्लॉर	11.20	8.20	91.84	191.66	
				कच्चा मकान फर्स्ट फ्लॉर	8.10	4.60	37.26		
					11.20	3.20	35.84		
				टीन शेड	6.80	3.93	26.72		
59	मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह	76/1	70	कच्चा मकान	8.80	7.80	68.64	68.64	
60	ओमप्रकाश पिता बलराम	12	41	कच्चा मकान	8.10	3.60	29.16	37.61	परिवार सूची में सरल कमाल 91 पर रिथ्ट है।
				टीन शेड	3.25	2.60	8.45		
	कुल योग							4897.45	

निजी भूमि मे स्थित मकान

संक.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	रिसार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हरदयाल पिता तेजसिंह	9/1,10,11	18	टीन शेड	9.20	3.45	31.74	31.74	
2	लाडसिंह पिता हरदयालसिंह	9/1,10,11	19	कच्चा मकान	16.70	7.70	128.59	128.59	
3	लक्ष्मण सिंह पिता हरदयालसिंह	9/1,10,11	20	पवका मकान	8.45	4.45	37.60	42.21	
				ईट की दीवार	20.50	0.23	4.61		
4	रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह	9/1,10,11	21	कच्चा मकान	11.90	7.00	83.30	83.30	
5	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह	9/1,10,11	22	टीन शेड	9.10	3.10	28.21	28.21	
6	मोतीसिंह पिता तेजसिंह	9/1,10,11	23	कच्चा मकान	16.00	7.70	123.20	160.09	परिवार सूची में सरल कमाल 105 पर रिथ्ट है।
				टीन शेड	7.10	3.70	26.27		
				ईट की दीवार	14.80	0.225	3.33		
				पवका चबूतरा	2.70	2.700	7.29		

7	जगदीश पिता समन्दरसिंह	9/2,10,11	24	पक्का मकान ग्राउण्ड फ्लोर	10.50	8.00	84.00	176.71	
				कच्चा मकान फर्स्ट फ्लोर	8.20	4.00	32.80		
				कच्चा मकान	6.80 6.25 4.35	4.00 2.45 4.00	27.20 15.31 17.40		
8	इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह	9/2,10,11	25	पक्का मकान	10.45	8.10	84.65	84.65	प्रधानमंत्री आवास है
				टीन शेड	8.90	3.20	28.48		
				कच्चा मकान	8.60	7.10	61.06		
9	तेजसिंह पिता गोविन्दसिंह	9/2,10,11	26	पक्का मकान	10.50	4.30	45.15	45.15	
10	कृष्णाकुमार बेंचा भगवान्सिंह	9/2,10,11	27	टीन शेड	2.40 12.70 5.90 3.40	1.00 4.60 4.70 2.80	2.40 58.42 50.82 9.52		
11	हरगोविन्द पिता समन्दरसिंह	19	31	पक्का मकान	12.10	4.20	50.82	148.89	
				टीन शेड	5.90	4.70	27.73		
				कच्चा मकान	3.40	2.80	9.52		
12	विजय पिता भोलाराम	20/3	32	टीन शेड	8.90	3.90	34.71	34.71	ग्राम में निवासरत न होने से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र नहीं होने से परिवार सूची में शामिल नहीं है।
13	हरिप्रसाद पिता भोलाराम	20/3	34	टीन शेड	7.60	6.00	45.60	45.60	
14	प्रमोद पिता देवीराम	20/2	36	पक्का मकान	6.00	5.40	32.40	59.76	
15	मुकेश पिता भोलाराम	20/3	37	टीन शेड	7.60	3.60	27.36		
16	देवीराम पिता धन्नालाल	20/2	38	टीन शेड (सीमेन्ट छद्दर)	6.00 7.20	3.80 2.90	22.80 20.88	20.88	
17	आत्मराम पिता गोकुलप्रसाद	23	39	टीन शेड	8.00	4.00	32.00	32.00	
18	लक्ष्मीनरायण पिता पन्नालाल	23	40	पक्का मकान	8.50	8.50	72.25	72.25	प्रधानमंत्री आवास है
19	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	24/1	42	पक्का मकान	7.9	4.3	33.97	33.97	परिवार सूची में सरल क्रमांक 51 पर स्थित है। प्रधानमंत्री आवास है।
20	गोपालसिंह पिता धनराजसिंह	24/1	43 (1)	कच्चा मकान	3.8	6.2	23.56	23.56	
21	प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह	24/1	43 (2)	कच्चा मकान	3.8	6.2	23.56	23.56	
22	दीपसिंह पिता पदमसिंह	24/1	44	कच्चा मकान	7.6	4.8	36.48	36.48	
23	आनंदसिंह पिता दीपसिंह	24/1	45	पक्का मकान	13.9 4.4	5 4.7	69.5 20.68	20.68	प्रधानमंत्री आवास है।
				कच्चा मकान	10	3.3	33		
24	रघुनन्दन पिता दीपसिंह	24/1	46	पक्का मकान	8.30	4.70	39.01	39.01	परिवार सूची के सरल क्रमांक 50 पर स्थित है। प्रधानमंत्री आवास है।
25	धनराजसिंह पिता दीपसिंह	24/1	47	पक्का मकान	9.70	8.90	86.33	86.33	प्रधानमंत्री आवास है।
				टीन शेड	4.00	2.60	10.40	10.40	
				पक्का मकान	7.55	4.20	31.71	31.71	प्रधानमंत्री आवास है।
26	हूंगरसिंह पिता दीपसिंह	24/1	48	टीन शेड	9.20	8.40	77.28	77.28	
27	मांगीलाल देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	25/2	49	कच्चा मकान	12.60	3.65	45.99	136.15	देवीसिंह परिवार सूची के सरल क्रमांक 33 पर स्थित है।
				टीन शेड	12.60	3.60	45.36		
					7.00	6.40	44.80		

28	शिवसिंह पिता तेजसिंह	26	50	पवका मकान	9.55	4.00	38.20	102.69		
				कच्चा मकान	12.45	3.30	41.09			
					6.00	3.90	23.40			
29	कमलसिंह पिता शिवसिंह	26	51	कच्चा मकान	17.20	3.65	62.78	181.46		
					17.20	3.20	55.04			
				टीन शेड	17.20	3.70	63.64			
30	प्रेमसिंह पिता आरसिंह	28/2	52	पवका मकान	12.36	3.73	46.10	46.10		
31	गोविन्द सिंह पिता आरसिंह	28/2	53	पवका मकान	13.80	4.00	55.20	55.20	प्रधानमंत्री आवास है।	
				कच्चा मकान	3.30	3.25	10.73	10.73		
					12.80	4.15	53.12			
32	जितेन्द्रसिंह पिता आरसिंह	28/2	54	कच्चा मकान	4.75	2.80	13.30	90.42		
					10.00	2.40	24.00			
				कच्चा मकान	4.60	3.70	17.02			
33	संतोष पिता बालूलाल	193/12	73		टीन शेड	8.50	4.30	36.55	53.57	
				कच्चा मकान						
34	कैलाश पिता लालजीराम (मृतक)	193/12	74	कच्चा मकान	4.50	4.00	18.00	18.00	परिवार चूमी में परिवार चूमी में शामिल नहीं किया है तथा ऐप वारिस गवर्नर गाम में नियामित नहीं होने से परिवार चूमी में शामिल नहीं किया गया है।	
35	राजेश पिता बद्रीप्रसाद	193/12	75	कच्चा मकान	9.80	3.50	34.30	53.90	परिवार चूमी में सरल कमांक 167 पर अपने पिता के साथ नाम दिया है।	
				टीन शेड	9.80	2.00	19.60			
36	राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुन सिंह	74/1	76	टीन शेड	15.40	7.70	118.58	118.58	1 मकान आबादी में तथा 1 मकान नियोगी भूमि में स्थित है तथा परिवार चूमी में सरल कमांक 17 पर दिया है।	
37	प्रेमसिंह पिता आरसिंह	29	77	पवका मकान	8.00	4.10	32.80	32.80	नियोगी भूमि में स्थित मकान सरल कमांक 30 एवं सरल कमांक 37 पर दिया है परिवार चूमी में सरल कमांक 137 पर दिया है।	
कुल योग								2692.16		

परिवार सत्यापन

स.क्र.	परिवार के मुखिया का नाम/पिता/पति का नाम एवं जाति	परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	उम्र	वर्ग	पात्र परिवार			रिमार्क
						18 वर्ष से ऊपर	विधवा/तलाकशुद्धि/अन्य	मूल परिवार	
1	लक्ष्मीनारायण पिता परमुराम	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	50	अजा			1	
2	कोमलबाई बेवा परमुराम	कोमलबाई	स्वयं	53	अजा		1		
3	गंगाराम पिता चुन्नीलाल	गंगाराम	स्वयं	50	अजा			1	
4		सावित्रीबाई	माता	72	अजा		1		
4A		पूजा	पुत्री	22	अजा	1			सूमी में शामिल किया जाना चाहिए होगा।
5	जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ	जंगबहादुर	स्वयं	55	सामान्य			1	
6		राजपाल	पुत्र	23	सामान्य	1			

7	भैरव कुवर	माता	75	सामान्य	1		
7A	मोनिका सोलंकी	पुत्री	18	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
8	शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	शेलेन्द्रसिंह	स्वयं	40	सामान्य		1
9	प्रवीणसिंह पिता प्रकाश	प्रवीणसिंह	स्वयं	28	सामान्य		1
10	प्रणवपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	प्रणवपालसिंह	स्वयं	47	सामान्य		1
11	धनकुंवर बेवा ओमप्रकाश	धनकुंवर	स्वयं	55	सामान्य	1	ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह के फोटो होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया।
12	लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह	लक्ष्मणसिंह	स्वयं		सामान्य		1
13	देवेन्द्र	पुत्र	23	सामान्य		1	
14.	हेमेन्द्र	पुत्र	22	सामान्य	1		
15	ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह	ओमप्रकाश	स्वयं	55	सामान्य	1	
16	उमा	पुत्री	19	सामान्य	1		
17	राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	46	सामान्य		1
18	इन्द्रपाल सिंह सोलंकी	पुत्र	20	सामान्य		1	
19	छाया सोलंकी	पुत्री	18	सामान्य	1		
20	गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह	गोपालसिंह	स्वयं	50	सामान्य		1
21	लोकेन्द्रसिंह	पुत्र	22	सामान्य	1		
22	उपेंद्र सोलंकी	पुत्र	30	सामान्य		1	
23	भोनीप्रकाश पिता विजयसिंह	भोनीप्रकाश	स्वयं	62	सामान्य		1
24	गोपाल पिता भोनीप्रकाश	गोपाल	स्वयं	38	सामान्य		1
25	कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश	कृष्णपाल	स्वयं	40	सामान्य		1
26	कृष्णाकुंवर बेवा बलरामसिंह	कृष्णाकुंवर	स्वयं	45	सामान्य	1	बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह के फोटो होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया।
27	जगदीश	पुत्र	22	सामान्य	1		
28	कृष्णाकुंवर	माता	65	सामान्य		1	
29	गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह	गोविन्दसिंह	स्वयं	53	सामान्य		1
30	शुभम	पुत्र	24	सामान्य	1		
31	राजवर्धन सिंह	पुत्र	25	सामान्य		1	
32	महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह	महेन्द्रपाल	स्वयं	24	सामान्य	1	
33	देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	देवीसिंह	स्वयं	50	सामान्य		1
34	मोहन	पुत्र	23	सामान्य	1		
35	कृष्णपाल	पुत्र	24	सामान्य		1	
36	मधु	पुत्री	19	सामान्य	1		
36A	राधा	पुत्री	25	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
37	जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल	जितेन्द्रसिंह	स्वयं	31	सामान्य		1
	निशा	पुत्री	18	सामान्य			संरोधित कर रा. के १४६ पर पिता के साथ दर्ज किया।
38	तंवरलाल पिता भंवरलाल	तंवरलाल	स्वयं	45	सामान्य		1
39	प्रदुम	पुत्र	22	सामान्य	1		
40	अरुण	पुत्र	18	सामान्य	1		
41	पिकूसिंह पिता भंवरलाल	पिकूसिंह	स्वयं	40	सामान्य		1
42	जालमसिंह पिता शैतानसिंह	जालमसिंह	स्वयं	70	सामान्य		1
42 A	पणी	पुत्री	18	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
43	राम कंवर	माता	88	सामान्य		1	
44	उमा	पुत्री	21	सामान्य	1		
45	भंवरलाल पिता जालमसिंह	भंवरलाल	स्वयं	38	सामान्य		1

		मधुसुंवर	पुत्री	18	सामान्य			संसोधित कर स. कं 100 A पर पिता के साथ दर्ज किया।
46	भंवरलाल पिता रघूनन्दन	भंवरलाल	स्वयं	26	सामान्य			1
47	किशोरसिंह पिता रघूनन्दन	किशोरसिंह	स्वयं	22	सामान्य			1
48	रघुनन्दन-	पिता	67	सामान्य				1
49	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	जगन्नाथसिंह	स्वयं	37	सामान्य			1
50	स्वरूपकुंवर पति श्यामसिंह	स्वरूपकुंवर	स्वयं	51	सामान्य			1
51	चतरभानसिंह पिता श्यामसिंह	चतरभानसिंह	स्वयं	30	सामान्य			1
52	विष्णुकुंवर बेवा शिवपाल	विष्णुकुंवर	स्वयं	36	सामान्य	1		
53	राजपाल पिता मांगीलाल	राजपाल	स्वयं	37	सामान्य			1
54	जीवनसिंह पिता मांगीलाल	जीवनसिंह	स्वयं	32	सामान्य			1
55	राजेन्द्रसिंह पिता चंद्रसिंह	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	44	सामान्य			1
56	वीरेन्द्र सिंह	पुत्र	21	सामान्य	1			सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
56 A	मेहरबानसिंह पिता चंद्रसिंह	मेहरबानसिंह	स्वयं	45	सामान्य			1
57	सुन्दर सिंह	पुत्र	22	सामान्य	1			सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
58	संतोष कुंवर बेवा देवीसिंह	संतोष कंवर	स्वयं	44	सामान्य	1		
59	जगदीश पिता चंद्रसिंह	जगदीश	स्वयं	40	सामान्य			1
60	हिन्दुसिंह पिता चंद्रसिंह	हिन्दुसिंह	स्वयं	65	सामान्य			1
61	श्यामकुंवर बेवा सरदारसिंह	श्यामकुंवर	स्वयं	78	सामान्य	1		सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह के फोटो होने से पल्टी का नाम दर्ज किया गया।
62	ममता कुंवर	पुत्रवधू	38	सामान्य		1		
63	संजू सिंह	पुत्र	28	सामान्य	1			
64	दिलीप	पुत्र	58	सामान्य		1		
65	हेमेन्द्र	पौत्र	23	सामान्य	1			
66	महिपाल	पौत्र	24	सामान्य	1			
66A	वशु सोलंकी	पौत्री	29	सामान्य	1			सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
67	दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी	दिनेश	स्वयं	55	पि.वर्ग		1	
68	अनिल	पुत्र	32	पि.वर्ग	1			
69	सुनिल	पुत्र	26	पि.वर्ग	1			
70	नरेन्द्र पिता दिनेश	नरेन्द्र	स्वयं	37	पि.वर्ग		1	
71	मांगीलाल पिता अनारसिंह	मांगीलाल	स्वयं	48	सामान्य		1	
72	विकाससिंह	पुत्र	27	सामान्य	1			
73	लोकेन्द्रसिंह	पुत्र	20	सामान्य	1		1	
73 A	शीतल	पुत्री	19	सामान्य	1			सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
74	मोहनसिंह पिता रामदयाल	मोहनसिंह	स्वयं	28	सामान्य		1	
75	रामदयाल	पिता	60	सामान्य			1	
76	मनोहरसिंह पिता रामनाथसिंह	मनोहरसिंह	स्वयं	50	सामान्य		1	
77	कमल	पुत्र	20	सामान्य	1			
78	टमा	पुत्री	18	सामान्य	1			त्रिवेश मनोहरसिंह पिता भंवरलाल के साथ स.क. 170 पर प्रशंसन हो गया था।
79	बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश	बलवीरसिंह	स्वयं	30	सामान्य		1	
80	चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह	चन्द्रप्रकाश	स्वयं	70	सामान्य		1	
81	राधा	पुत्री	25	सामान्य	1			
82	कृष्णाकुंवर बेवा नारायणसिंह	कृष्णाकुंवर	स्वयं	69	सामान्य	1		नारायणसिंह पिता रामनाथ के फोटो होने से पल्टी का नाम दर्ज किया गया।

83	तंवर कंवर बेवा हुकमसिंह	तंवर कंवर	स्वयं	48	सामान्य	1		
84	"	जगपाल	पुत्र	20	सामान्य	1		
85		दीपक	पुत्र	18	सामान्य	1		
86	महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह	महेन्द्रसिंह	स्वयं	30	सामान्य		1	
87	अनंतरसिंह पिता सजनसिंह	अनंतरसिंह	स्वयं	48	सामान्य		1	
87 A		सुषमा	पुत्री	29	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
87 B		टभा	पुत्री	28	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
88	जुगनकंवर बेवा सजनसिंह	जुगनकंवर	स्वयं	80	सामान्य		1	
89	बलराम पिता विष्णुनाथ	बलराम	स्वयं	45	सामान्य		1	
90		नेपाल	पुत्र	21	सामान्य	1		
91		ओमप्रकाश	पुत्र	21	सामान्य	1		
92	विष्णुनाथसिंह पिता गुलाबसिंह	विष्णुनाथसिंह	स्वयं	67	सामान्य			विष्णुनाथसिंह पिता गुलाबसिंह फोत हो चुके हैं, पत्नी भी जीवित नहीं है। धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।
93	राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ	राजेन्द्रसिंह	स्वयं	32	सामान्य		1	
94	कृपालसिंह पिता विष्णुनाथ	कृपालसिंह	स्वयं	40	सामान्य		1	
95	मांगीलाल पिता शंकरसिंह	मांगीलाल	स्वयं	50	सामान्य		1	
95 A		मोनिका सोलंकी	पुत्री	18	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
96		चीनू	पुत्र	20	सामान्य	1		
97		विशेस सिंह सोलंकी	पुत्र	19	सामान्य		1	
98		मानकुंवर	माता	80	सामान्य		1	
98 A		सपना	पुत्री	25	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
99	भंवरलाल पिता मोतीसिंह	भंवरलाल	स्वयं	55	सामान्य		1	
100		मनोज	पुत्र	25	सामान्य		1	
100A		मधु कुंवर	पुत्री	21	सामान्य	1		त्रुटिवश भंवरलाल पिता जलाप सिंह के ताथ स.क. 46 पर प्रकाशन हो गया था
101	राजेन्द्र पिता मोतीसिंह	राजेन्द्र	स्वयं	38	सामान्य		1	
102	विकम पिता मोतीसिंह	विकम	स्वयं	50	सामान्य		1	
103		ज्ञानसिंह	पुत्र	25	सामान्य		1	
104		योगेन्द्र	पुत्र	22	सामान्य	1		
105		मोतीसिंह	पिता	74	सामान्य		1	
106	मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह	मनमोहनसिंह	स्वयं	30	सामान्य		1	
निची भूमि में								
107	गेंदकुंवर बेवा दीपसिंह	गेंदकुंवर	स्वयं	76	सामान्य	1		दीपसिंह पिता पदमसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया।
108		आनन्द	पुत्र	40	सामान्य		1	
109	हरदयाल पिता तेजसिंह	हरदयाल	स्वयं	68	सामान्य		1	
110	लाडसिंह पिता हरदयालसिंह	लाडसिंह	स्वयं	50	सामान्य		1	

111		कृष्णपाल	पुत्र	21	सामान्य	1		
111 A		किरण सोलंकी	पुत्री	22	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
112	लक्ष्मणसिंह पिता हरदयालसिंह	लक्ष्मणसिंह	स्वयं	33	सामान्य		1	
113	रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह	रामपालसिंह	स्वयं	40	सामान्य		1	
114	श्यामकुंवर बेवा समन्दरसिंह	श्यामकुंवर	स्वयं	63	सामान्य		1	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया।
115	जगदीश पिता समन्दरसिंह	जगदीश	स्वयं	50	सामान्य		1	
116	इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह	इश्वरसिंह	स्वयं	52	सामान्य		1	
117	तेजसिंह पिता मोतीसिंह	तेजसिंह	स्वयं	80	सामान्य		1	
118	कृष्णाकुंवर बेवा भगवान सिंह	कृष्णाकुंवर	स्वयं	72	सामान्य	1		
119		कमलसिंह	पुत्र	24	सामान्य	1		
120	हरगेविन्द पिता रामनाथसिंह	हरगेविन्द	स्वयं	55	सामान्य		1	
121		विजेन्द्र	पुत्र	25	सामान्य		1	
122		छत्रपाल	पुत्र	22	सामान्य	1		
123	हरिप्रसाद पिता भोलाराम	हरिप्रसाद	स्वयं	45	अजा		1	
124	प्रमोद पिता देवीराम	प्रमोद	स्वयं	40	अजा		1	
125	मुकेश पिता भोलाराम	मुकेश	स्वयं	50	अजा		1	
126	देवीराम पिता धन्नालाल	देवीराम	स्वयं	70	अजा		1	
127	आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद	आत्माराम	स्वयं	50	अजाजा		1	
127.A		रवि कुमार	पुत्र	22	अजाजा	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
128	लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	50	अजा		1	
129		सोनू	पुत्र	24	अजा		1	
130	गोपालसिंह पिता धनराजसिंह	गोपालसिंह	स्वयं	25	सामान्य	1		
131	प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	24	सामान्य	1		
132	धनराजसिंह पिता दीपसिंह	धनराज	स्वयं	42	सामान्य		1	
133	झंगरसिंह पिता दीपसिंह	झंगरसिंह	स्वयं	45	सामान्य		1	
134	मांगीलाल पिता शम्भुसिंह	मांगीलाल	स्वयं	68	सामान्य		1	
135	शिवसिंह पिता तेजसिंह	शिवसिंह	स्वयं	60	सामान्य		1	
136	कमलसिंह पिता शिवसिंह	कमलसिंह	स्वयं	44	सामान्य		1	
137	प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह	प्रेमसिंह	स्वयं	28	सामान्य		1	
138	गोविन्दसिंह पिता प्यारसिंह	गोविन्दसिंह	स्वयं	34	सामान्य		1	
139	जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह	जितेन्द्रसिंह	स्वयं	37	सामान्य		1	
140		कृष्णा सोलंकी	माता	70	सामान्य	1		
141		कमला कुँवर	चाची	53	सामान्य	1		
142	संतोष पिता बाबूलाल	संतोष	स्वयं	50	अजा		1	
प्रकरण क्रमांक 17 / अ-82 / 2017-18 में पारित आवोड दिनांक 26.10.2021 के द्वारा भकान का भुगतान किया जा चुका है केवल विस्थापन किया जाना है।								
143	सुरेन्द्रसिंह पिता प्रह्लादसिंह	सुरेन्द्रसिंह	स्वयं	63	सामान्य		1	प्रपत्र य का सरल क्रमांक 1 एवं 1 भकान शासकीय भूमि में स्थित है।
143A		रवेन्द्र सिंह	पुत्र	29	सामान्य		1	सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
144	महेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश	महेन्द्रसिंह	स्वयं	35	सामान्य		1	प्रपत्र य का सरल क्रमांक 2
145	जितेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	जितेन्द्रसिंह	स्वयं	50	सामान्य		1	प्रपत्र य का सरल क्रमांक 3
145A		देवेन्द्र	पुत्र	21	सामान्य	1		सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।
146		निशा	पुत्री	18	सामान्य	1		जुटिया जितेन्द्र रोह पिता भवरलाल के साथ स.क. 38 पर प्रकाशन हो गया था
146	चतुरभानसिंह पिता जालमसिंह	चतुरभानसिंह	स्वयं	25	सामान्य		1	प्रपत्र य का सरल क्रमांक 5

147	धर्मन्द पिता जालमसिंह	धर्मन्द	स्वयं	28	सामान्य		1	प्रपत्र थ का सरल कॉमाक 6
148	पप्पीबाई पति उंकारसिंह	पप्पी बाई	स्वयं		अजा		1	प्रपत्र थ का सरल कॉमाक 8
149	प्रितम पिता जयकिशन	प्रितम	स्वयं	37	अजा		1	प्रपत्र थ का सरल कॉमाक 9
150.	विष्णु पिता गोरेलाल	विष्णु	स्वयं	40	अजा		1	प्रपत्र थ का सरल कॉमाक 10 पर है एवं अंड विभात पति गोरेलाल के नाम से पारित किया गया था जो कोत हो चुकी है। विष्णु विष्णु पिता गोरेलाल है। प्रधानमंत्री आवास है।
151	हीरालाल पिता गोरेलाल	हीरालाल	स्वयं	32	अजा		1	प्रपत्र थ का सरल कॉमाक 11
151 A.	भगवान सिंह	पुत्र	23	अजा	1			दूसी में शानित किया जाना उचित होगा।
शासकीय भूमि में								
152	रामश्री पुरी नन्हूलाल	रामश्री	स्वयं	50	अजा		1	
153	कनीराम पिता नंदराम	कनीराम	स्वयं	79	अजा		1	
154	मथुराप्रसाद पिता छन्नुलाल	मथुराप्रसाद	स्वयं	40	अजा		1	
155	जशरथ पिता इन्द्रसिंह	जशरथ	स्वयं	48	सामान्य		1	
156	इन्द्रसिंह	पिता	73	सामान्य			1	
157	बाबूलाल पिता पन्नालाल	बाबूलाल	स्वयं	64	अजा		1	प्रधानमंत्री आवास है।
158	विजय	पुत्र	24	अजा	1			
159	मनोज पिता बाबूलाल	मनोज	स्वयं	28	अजा		1	
160	सुरेश पिता छन्नुलाल	सुरेश	स्वयं	52	अजा		1	
161	सोनू पिता भंवरलाल	सोनू	स्वयं	52	अजा		1	
162	महेश पिता भंवरलाल	महेश	स्वयं	45	अजा		1	
163	भंवरलाल पिता नन्हूलाल	भंवरलाल	स्वयं	60	अजा		1	
164	राजा	पुत्र	21	अजा	1			
164 A.	अशोक	पुत्र	20	अजा	1			दूसी में शानित किया जाना उचित होगा।
165	बद्रीप्रसाद पिता पन्नालाल	बद्रीप्रसाद	स्वयं	71	अजा		1	
166	बबलेश	पुत्र	25	अजा	1			
167	राजेश	पुत्र	28	अजा			1	
167 A.	शिवानी	पुत्री	22	अजा	1			दूसी में शानित किया जाना उचित होगा।
168	मनोहरसिंह पिता भंवरलाल	मनोहरसिंह	स्वयं	40	सामान्य		1	
169	भंवरलाल	पिता	72	सामान्य			1	
	टमा	पुत्री	18	सामान्य				संतोषित कर स. के 78 पर पिता के साथ दर्ज किया।
170	भूपेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	भूपेन्द्रसिंह	स्वयं	37	सामान्य		1	
171	भोलाराम पिता धन्नालाल	भोलाराम	स्वयं	69	अजा		1	
पीएम आवास								
172	लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम (डबल)	लक्ष्मीनारायण	स्वयं	50	अजा			
173	मुकेश पिता भोलाराम (डबल)	मुकेश	स्वयं	50	अजा			
174	देवीराम पिता धन्नालाल (डबल)	देवीराम	स्वयं	70	अजा			
175	छन्नुलाल पिता रतनलाल	छन्नुलाल	स्वयं	76	अजा		1	
176	संतोष पिता बाबूलाल (डबल)	संतोष	स्वयं	50	अजा			
	योग -					57	23	112
	कुल योग कॉलम (7+8+9)					192		

नाथवं तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित छूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1, में रकबा 8.801 हेतु भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4952/राजस्व 01 राजस्व 02/एफ क्र.13/21/2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियाँ, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निवाह भत्ता दिया जायेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

०६. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारमी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा।

७. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सूजन के विरुद्ध दी जा सकेगी।

८. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपये "पुर्नव्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा।

९. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाप्स शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा।

१०. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगणों से मुक्त होगी।

११. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्येक्षा प्राधिकारी के उच्चर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

१२. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमारी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था।

१३. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये।

१४. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

०१५ पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था।

१६. उचित मूल्य की दुकानें की युक्तियुक्त संख्या।

१७. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित हैं।

१८. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कल्पितान या शबदाह शृंगृह।

१९. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।

२०. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

२१. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी।

०२२. निशुल्क और अन्तिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
25. बच्चों के लिये कीड़ा क्षेत्र।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष छौतरा।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबों के पुर्णव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 में रकबा 19. 543 है भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 है 0 भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है। पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्णवासन और पुर्णव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू-खण्ड मौजा गवा, दुरगांव की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लंगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लंगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा।
32. अधिनियम की धारा 3 डी. के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
०. १—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- २— अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी-वैशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्र. C-5724—चार—9—04—39—भाग—तीन—डी/पेंशन.—
मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी अधिवार्षकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक 6 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है :—

प्रथम श्रेणी अधिकारी					
क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एम.वी.आर. बालाजी सर्मा	टिटी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर	09.06.1963	08.06.2025	30.06.2025

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल कुमार गुजराती	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर	21.02.1963	20.02.2025	29.02.2025
2.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर	5.03.1963	4.03.2025	31.3.2025
3.	श्री रमेश कुमार प्रजापति	संकेती दू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर	1.04.1963	31.03.2025	31.03.2025
4.	श्री महेश विश्वकर्मा	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर	25.04.1963	24.04.2025	30.04.2025
5.	श्री अजय हरी कारे	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर	22.05.1963	21.05.2025	31.05.2025
6.	श्री निधिलेश कुमार श्रीवास्तव	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर	30.06.1963	29.06.2025	30.06.2025
7.	श्री बाबूलाल कुशवाहा	प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर	1.07.1963	30.06.2025	30.06.2025
8.	श्री श्रीराम भारद्वाज	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर	1.07.1963	30.06.2025	30.06.2025

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्र. B-3507—दो—2—54—2022.— श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ज्ञाइंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अक्टूबर 2024 तक सड़सठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 31 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक 03 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. A-5896—दो—3—420—80—भाग—बारह.— श्री सुरेश चन्द्र पाल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक 1127—इक्कीस—ब(एक)—2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक—643—2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—सी—3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री सुरेश चन्द्र पाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को उनके खाते में 259 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 304 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(i) अर्जित अवकाश के एवज में : 259 दिवस
नगद भुगतान

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में : 82/2=41 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

क्र. A-5915—चार—8—42—1977—भाग—सोलह.— श्रीमती परिधि गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला मुरैना को दिनांक 23 जुलाई 2024 से 03 फरवरी 2025 तक, एक सौ पचानवे दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती परिधि गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती परिधि गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला मुरैना के पद पर कार्यरत रहती है।

क्र. A-5921—दो—2—60—2014.— श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3554—दो—2—29—2022.— श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को ब्लॉक वर्ष 2019—2023 तक की अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग किये जाने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक—3—(ए)19—03—इक्कीस—ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1—ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक—3666/इक्कीस—ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-3556—दो—2—80—2023.— श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रत्लाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक—3—(ए)19—03—इक्कीस—ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई

2024 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-3558—दो—2—48—2021.— श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 5 से 10 अगस्त 2024 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अगस्त 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3560—दो—2—15—2023.— श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक 12 दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 जून से 3 जुलाई 2024 तक 19 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 6 जुलाई 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3562—दो—2—33—2020.— श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2024 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3564—दो—3—21—2021.— श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3566—दो—2—10—2018.— सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 30 जुलाई 2024 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3568—दो—2—36—2021.— श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक दो दिन का तथा दिनांक 16 अगस्त 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. दिनांक 16 अगस्त 2024 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-5894—दो—3—420—80—भाग—बारह.— श्री सुरेश चन्द्र पाल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को सेवानिवृत्त दिनांक 31 मार्च 2024 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए—3164, दिनांक 26 अप्रैल 2024 निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्र. B-3658—दो—2—41—2017.— श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2024 तक, छ: दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3660—दो—2—61—2023.— श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2024 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. A-6223—दो—2—115—2017.— श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-6227—दो—2—46—2019.— श्री जयंत शर्मा, रजिस्ट्रार (I.&L.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 30 जुलाई 2024 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जयंत शर्मा, रजिस्ट्रार (I.&L.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयंत शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (I.&L.) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-6230—दो—2—115—2017.— श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19—03—21—ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-3730—दो—2—2—2023.— श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 31 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-6232—दो—2—41—2024.— श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 20 से 21 अगस्त 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3732—दो—2—58—2017.— श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

- दिनांक 27 जुलाई 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
- दिनांक 27 से 31 जुलाई 2024 तक का पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3734-दो-2-27-2024.— श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक दो दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3736-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री बी.सी. मलैया, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/3304, दिनांक 9 अगस्त 2016 निरस्त किया जाता है।

क्र. B-3738-दो-3-420-भाग-बारह.— श्री बी.सी. मलैया, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127/21-ब(एक)-2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री बी.सी. मलैया की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके खाते में 235 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 226 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में : 235 दिवस
नगद भुगतान

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में : 130($130/2=65$ दिवस
का पूर्ण अवकाश वेतन).

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. C-5848-दो-2-32-2022.— श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेंबर (Jr.-I), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 जुलाई से 6 अगस्त 2024 तक नौ दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेंबर (Jr.-I), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनीष शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टि मेंबर (Jr.-I), एम.पी.एस.जे.ए., के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5862-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री विमल प्रकाश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रिसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1131, दिनांक 21 मार्च 2022 निरस्त किया जाता है।

क्र. C-5864-दो-3-420-भाग-बारह.— श्री विमल प्रकाश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रिसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127/21-ब(एक)-2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री विमल प्रकाश शुक्ला की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को उनके खाते में 288 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 512 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में : 288 दिवस
नगद भुगतान

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में : 24($24/2=12$ दिवस
का पूर्ण अवकाश वेतन).

जबलपुर, दिनांक 20 अगस्त 2024

क्र. B-3778—दो—3—21—2021.— श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 30 जुलाई 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3780—दो—2—62—2016.— श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैडन को दिनांक 23 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक, कुल बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैडन को सिंगरौली मुख्यालय बैडन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3768—दो—3—420—80—भाग—बारह.— सुश्री नीता गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक 1127/इकीस-ब(एक)/2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक—643/2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में, दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं

सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—सी/3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार सुश्री नीता गुप्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को उनके खाते में 270 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 198 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|------------------------------------|--|
| (i) अर्जित अवकाश के एवज में : | 270 दिवस
नगद भुगतान |
| (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में : | 60/2=30 दिवस का
नगद भुगतान पूर्ण अवकाश वेतन |

क्र. B-3774—दो—2—37—2020.— श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2024 तक छ: दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3776—दो—2—13—2019.— श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 21 अगस्त से 24 अगस्त 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अगस्त से 19 अगस्त 2024 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3770-दो-3-420-80-भाग-बारह.— सुश्री सरिता वाधवानी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127/इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643/2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्ठिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—सी/3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार—सुश्री सरिता वाधवानी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को उनके खाते में 174 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 318 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में : 174 दिवस
नगद भुगतान
- (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज : $252/2=126$ दिवस का
में नगद भुगतान पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र. C-5966-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री सुरेश सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127/इक्कीस-ब(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643/2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्ठिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—सी/3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार—श्री सुरेश सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को उनके खाते में 289 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 418 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में : 289 दिवस
नगद भुगतान
- (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज : $22/2=11$ दिवस का
में नगद भुगतान पूर्ण अवकाश वेतन.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार
आशीष तिवारी, डी.आर—कम—पी.पी.एस.